

राजकोषीय विकास - राजस्व सुधार

वित्तीय वर्ष 2023 का केंद्रीय बजट एक व्यापक आर्थिक अनिश्चित वातावरण में प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रस्तुत किए जाने के बाद, भू-राजनीतिक संघर्ष से वैश्विक आपूर्ति अवरोध बढ़ गए और ईंधन, भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस संकट के प्रति भारत सरकार की राजकोषीय नीति में एक ओर बढ़ती खाद्य और उर्वरक सब्सिडी प्रदान करना तथा दूसरी ओर ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर करों में कटौती करने का विवेकपूर्ण मिश्रण शामिल था। वर्ष के दौरान इन अतिरिक्त राजकोषीय दबावों के बावजूद, केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए बजट अनुमान को प्राप्त करने के ट्रैक पर है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार, प्रत्यक्ष करों और जीएसटी से राजस्व में वृद्धि और बजट में यथार्थवादी संकल्पनाओं से केंद्र सरकार के प्रदर्शन में लचीलापन सुकर हुआ है। अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल कर राजस्व में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो प्रत्यक्ष करों और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में मजबूत वृद्धि से प्रेरित है। वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान प्रत्यक्ष करों में वृद्धि उनके दीर्घावधि औसत की तुलना में बहुत अधिक थी। जीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत के रूप में स्थिर हो गया है, अप्रैल से दिसंबर 2022 तक वर्ष दर वर्ष आधार पर सकल जीएसटी संग्रह में 24.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

व्यय पक्ष पर, वर्ष के दौरान केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर ध्यान, उच्च राजस्व व्यय आवश्यकताओं के बावजूद जारी रहा है। केंद्र सरकार का कैपेक्स जीडीपी के 1.7 प्रतिशत (वित्त वर्ष 09 से वित्त वर्ष 20) के दीर्घकालिक औसत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 पीए में जीडीपी का 2.5 प्रतिशत हो गया है। केंद्र सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहित किया है और कैपेक्स पर उनके व्यय को प्राथमिकता देने के लिए उधार लेने की सीमा बढ़ा दी है। सड़कों और राजमार्गों, रेलवे, और आवास और शहरी मामलों जैसी अवसंरचना-गहन क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ, कैपेक्स में वृद्धि का मध्यम अवधि के विकास के लिए बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कैपेक्स-आधारित विकास कार्यनीति भारत को विकास-ब्याज दर के अंतराल को सकारात्मक बनाए रखने में सक्षम बनाएगी, जिससे मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के लिए ऋण सतत् होगा।

परिचय

3.1 निरंतर जारी वैश्विक जोखिमों और अनिश्चितताओं के कारण, सरकारों के पास राजकोषीय स्थान की उपलब्धता सर्वोपरि हो गई है। हाल में वैश्विक महामारी की घटना के बाद यह विशेष रूप से सच है जब राजकोषीय नीति विश्व स्तर पर वृहत अर्थव्यवस्था के संतुलन का एक प्रभावकारी टूल बन गई। भारत में, विशेष रूप से जब सभी आर्थिक गतिविधियों में एक ठहराव आ गया था, राजकोषीय नीति कमजोर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने, मांग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को फनर्जीवित करने और सार्वजनिक निवेश तथा लगातार संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से कुछ घरेलू आपूर्ति-संबंधी कतिपय को दूर करने में सहायक थी।

3.2 सभी देशों के बाहर से मिलन वाले बड़े, अधिक लाभकारी पैकेजों के कारण मांग में तेजी आई, जिससे इसमें तेजी से सुधार हुआ। अभी भी मौजूदा आपूर्ति व्यवधानों और बाधाओं में, इकॉनोमी की ओवरहीटिंग से मुद्रास्फीति के दबाव उत्पन्न हुए। यूरोप में संघर्ष और संबंधित भू-राजनीतिक विकास ने संकट को और अधिक बढ़ा दिया। धीमी वैश्विक वृद्धि, बढ़ती ब्याज दरों, सतत उच्च मुद्रास्फीति दर और अनिश्चित वैश्विक वातावरण ने इस प्रकार राजकोषीय-नीति विशेषज्ञों के समक्ष राजकोषीय नीति संबंधी महत्वपूर्ण रणनीति तैयार करने से संबंधित कुछ प्रासंगिक प्रश्न खड़े किए हैं। राजकोषीय सहायता को बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा खोए हुए राजकोषीय स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था से राजकोषीय प्रोत्साहन को वापस लेते हुए जारी संकट का प्रबंधन करने के बीच व्यापार सामंजस्य कैसे बनाया जाए? ऐसा कब और किस गति से करें? जहां अचानक वापसी मध्यम अवधि की विधि हेतु लागत रखती है, तथापि धीमी वापसी से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और पैदावार कम हो सकती, जिससे कर्ज महंगा हो सकता है। इसके अतिरिक्त, बढ़ती ब्याज दरों के समय में वित्तीय बाजारों में राजकोषीय अपरंपरागतता के लिए कम सहिष्णुता हो सकती है।


3.3 इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध भारत सरकार ने वैश्विक महामारी के प्रति एक व्यवस्थित राजकोषीय कार्रवाई प्रतिक्रिया को अपनाया और राजकोषीय प्रोत्साहन को धीरे-धीरे वापस लेने की योजना बनाई क्योंकि यह बजट वित्तीय वर्ष 2022 में निर्धारित ग्लाइड पथ के साथ आगे बढ़ता है। यह अध्याय अनिश्चित भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच सरकार की राजकोषीय रणनीति पर चर्चा करता है। अध्याय केंद्र सरकार के वित्तीय प्रदर्शन की चर्चा के साथ शुरू होता है, इसके बाद राज्य के वित्त का अवलोकन होता है। यह भारत के ऋण प्रोफाइल पर एक टिप्पणी के साथ समाप्त होता है।

केंद्र सरकार की आय में वृद्धि

3.4 भारत ने एक विस्तारित राजकोषीय स्थिति के साथ महामारी में प्रवेश किया, सरकार द्वारा एक विवेकपूर्ण और सुधारात्मक राजकोषीय कार्रवाई ने वर्तमान अनिश्चितताओं में भी सार्वजनिक आय को स्थिर करने में सहायता की। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा, जो वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी 9.2 प्रतिशत तक पहुंच गया था, वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2022 में घटकर जीडीपी के 6.7 प्रतिशत तक हो गया है और इसका आगे वित्तीय वर्ष 2023 में जीडीपी के 6.4 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है (चित्र 1)। सरकार द्वारा परिकल्पित राजकोषीय ग्लाइड पथ के अनुरूप जीडीपी के अनुपात में केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे में यह क्रमिक गिरावट, पिछले दो वर्षों में से राजस्व संग्रह में वृद्धि के माध्यम से किए गए सावधानीपूर्वक राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है।


¹ रुचिर शर्मा की इन्वेस्टर्स गाइड टू 2023: फ्रॉम पीक डॉलर टू बेटर टीवी', फाइनेंशियल टाइम्स, 6 जनवरी 2023 (<https://www.ft.com/content/3e040c2c-f7e4-4121-9dfe-7ba5732707f7>)

आकृति III.1: पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के घाटे की प्रवृत्ति- राजकोषीय समेकन के मार्ग पर



स्रोत: सीजीए कार्यालय, केंद्रीय बजट दस्तावेज

आकृति III.2 : सरकार वित्तीय वर्ष 2023 में लक्षित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के ट्रैक पर



स्रोत: सीजीए कार्यालय

केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करने के ट्रैक पर

3.5 वित्तीय वर्ष 2023 का केंद्रीय बजट रिकवरी किए अनिश्चित व्यापक आर्थिक वातावरण में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वर्ष के दौरान सामने आने वाले भू-राजनीतिक घटनाक्रमों की आशंका नहीं की गई थी। जैसे ही वर्ष की शुरुआत में यूरोप में संघर्ष शुरू हुआ, इसने आपूर्ति के प्रतिबंधों को बढ़ा दिया और इससे ईंधन, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सरकार की राजकोषीय नीति संबंधी कार्रवाई में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता हुई, उपभोक्ताओं/उपयोगकर्ताओं को आयात की उच्च कीमतों के जरिए विशिष्ट शुल्क कटौती लागू की गई। वर्ष के दौरान अतिरिक्त राजकोषीय संसाधनों के दबाव के बावजूद, केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु बजट अनुमान को प्राप्त करने के सही ट्रैक पर है। नवंबर 2022 के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 58.9 प्रतिशत था, जो इसी अवधि के दौरान बजट अनुमान के 104.6 प्रतिशत के पांच साल के चल औसत (मूविंग एवरेज) से कम है (चित्र 2)।

परंपरागत बजट अनुमान वैश्विक अनिश्चितताओं के दौरान एक बफर प्रदान करना।

3.6 आर्थिक गतिविधियों में सुधार, वर्ष के दौरान देखे गए राजस्व में उछाल और बजट में व्यापक आर्थिक परिवर्तनों की परम्परागत धारणाओं के कारण केंद्र के राजकोषीय प्रदर्शन में यह लचीलापन आया है। वित्तीय वर्ष 2023 के बजट में विवेकपूर्ण धारणाओं ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौरान सरकार को एक बफर प्रदान किया। यद्यपि एक उदाहरण के रूप में, वित्तीय वर्ष 2022 में संशोधित अनुमान से संबंधित सकल कर राजस्व (जीटीआर) के अनुमित उच्च 'अनंतिम वास्तविक' आंकड़ों की परिकल्पना की गई थी। तथापि वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2022 के बाद वित्तीय वर्ष 2023 के बजट अनुमान की जीडीआर में वृद्धि मात्र 1.8 प्रतिशत है। इस निहित (बजट) वृद्धि के विपरीत, वर्ष के पहले आठ महीनों के आंकड़े दर्शाते हैं कि जीटीआर में अत्यधिक उच्च दर से वृद्धि हुई है (तालिका 1)। इस प्रकार वर्ष 2023 के जीटीआर के वार्षिक अनुमान में बजट अनुमानों से अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है।

तालिका: III.1: अप्रैल से नवंबर 2022 तक केंद्र सरकार के राजकोषीय संकेतकों का स्थिर प्रदर्शन

	लाख करोड़ रु.			ब.अ. के प्रतिशत के रूप में		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)		
	ब.अ. वित्तीय वर्ष 2023	अप्रैल-नवम्बर 2021	अप्रैल-नवम्बर 2022	अप्रैल-नवम्बर 2021	अप्रैल-नवम्बर 2022	लगभग 5 वर्ष अप्रैल-नवम्बर	अप्रैल-नवम्बर 2021	अप्रैल-नवम्बर 2022
राजस्व प्राप्तियां	22.04	13.58	14.23	75.9	64.6	12.3	67.1	4.8
कुल कर राजस्व	27.58	15.42	17.81	69.5	64.6	13.9	50.3	15.5
राज्यों को हस्तांतरित	8.17	4.03	5.51	60.5	67.5	16.6	20.4	36.8
कर राजस्व (केंद्र हेतु शुद्ध)	19.35	11.35	12.25	73.5	63.3	12.9	64.9	7.9
गैर-कर राजस्व	2.70	2.23	1.98	91.8	73.5	13.3	79.5	-11.1
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.79	0.21	0.41	11.0	52.3	30.6	14.1	100.4
गैर-ऋण प्राप्तियां	22.84	13.79	14.65	69.8	64.1	12.2	66.0	6.2
कुल व्यय	39.45	20.75	24.43	59.6	61.9	11.4	8.8	17.7
राजस्व व्यय	31.95	18.01	19.96	61.5	62.5	11.4	8.2	10.8
पूंजीगत व्यय	7.50	2.74	4.47	49.4	59.6	12.9	13.5	63.4
राजस्व घाटा	9.90	4.43	5.73	38.8	57.8	11.4	-48.1	29.3
राजकोषीय घाटा	16.61	6.96	9.78	46.2	58.9	11.5	-35.3	40.6
आरंभिक घाटा	7.21	2.34	4.33	33.5	60.1	13.1	-66.2	85.1

Source: O/o CGA

केंद्र सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियों का प्रदर्शन

3.7 केंद्र सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां (कर और गैर-कर) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। व्यय संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियों की कमी को सरकार की उधारी (राजकोषीय घाटे के रूप में ज्ञात) से पूरा किया जाता है। इस खंड में केंद्र सरकार की आय प्राप्ति के पक्ष के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

पिछले दो वर्षों के दौरान राजस्व निरंतर वृद्धि

3.8 वैश्विक महामारी से प्रभावित वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान गिरावट के बाद, वित्तीय वर्ष 2022 के वैश्विक महामारी के समय में राजस्व प्राप्तियों दोनों वर्ष-दर-वर्ष आधार पर और महामारी-पूर्व वित्तीय वर्ष 2020 (अनुलग्नक 1: तालिका 3) के अनुसार तेजी से वृद्धि हुई। यह राजस्व पुनरुद्धार वित्तीय वर्ष 2022 में सभी प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) के संग्रह में परिखर्तन करने के कारण हुआ था। राजस्व में पिछले वर्ष की तेजी की गति वर्तमान वर्ष में भी जारी है। सकल कर राजस्व में अप्रैल से नवंबर 2022 तक 15.5 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई और राज्यों को आबंटन के बाद केंद्र को शुद्ध कर राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 1, 2)।

तालिका: III.2: अप्रैल से नवंबर 2022 तक केंद्र सरकार के कर में वृद्धि

	लाख करोड़ रु. में			ब.अ. के प्रतिशत के रूप में		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)	
	ब.अ. वित्तीय वर्ष 2023	अप्रैल-नवम्बर 2021	अप्रैल-नवम्बर 2022	अप्रैल-नवम्बर 2021	अप्रैल-नवम्बर 2022	अप्रैल-नवम्बर 2021	अप्रैल-नवम्बर 2022
	कुल कर राजस्व में से	27.58	15.42	17.81	69.5	64.6	50.3
प्रत्यक्ष कर	14.20	7.00	8.67	63.1	61.0	66.3	23.9
क. निगम कर	7.20	3.54	4.28	64.6	59.5	90.4	21.1
व. निगम कर के अलावा आय पर कर	7.00	3.46	4.39	61.7	62.7	47.2	26.7
अप्रत्यक्ष कर	13.30	8.21	8.91	74.5	67.0	38.6	8.5
ग. सीमा शुल्क	2.13	1.26	1.41	92.5	66.4	99.5	12.4
घ. केंद्रीय उत्पाद शुल्क	3.35	2.42	1.91	72.2	57.1	23.2	-20.9
ड. सेवा कर	0.02	0.01	0.00	50.2	20.4	-52.6	-18.7
च. जीएसटी	7.80	4.53	5.57	71.9	71.5	36.5	23.1

Source: O/o CGA


3.9 आर्थिक विकास द्वारा प्रदर्शित लचीलापन वर्षों से देखी गई निरंतर राजस्व वृद्धि को कम करता है। तथ. पि, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में राजस्व में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है, जो कर के आधार का विस्तार करने और कर अनुपालन के बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की प्रभावशीलता का प्रमाण है। जीएसटी की शुरुआत और आर्थिक लेन-देन के डिजिटलीकरण जैसे संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक रूप प्रदान किया है और इसलिए करों में भी वृद्धि हुई है। अन्य कर प्रशासन/नीतिगत उपाय, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट और अपील, रिटर्न फाइलिंग का सरलीकरण, करदाताओं को सिस्टम से परिचित होने में सहायता, जीएसटी सिस्टम के तहत ई-वे बिल बनाना, और सरकारी विभागों तथा अन्य के बीच सूचना साझा करना आदि ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर के अनुपालन को बढ़ावा दिया है। विवरण अनुलग्नक 2 और 3 में देखा जा सकता है।

सकल कर राजस्व में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले प्रत्यक्ष कर


3.10 प्रत्यक्ष कर, जो मोटे तौर पर सकल कर राजस्व (चित्र 3) का आधा हिस्सा हैं, ने अप्रैल से नवंबर 2022 तक 26 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की है, जो कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर वृद्धि द्वारा हुई है। वित्तीय वर्ष 2023 के पहले आठ महीनों के दौरान प्रमुख प्रत्यक्ष करों में देखी गई वृद्धि दर उनके दीर्घावधि औसत (चित्र 4) की तुलना में बहुत अधिक थी।

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का फ्लेक्सी-फिस्कल पॉलिसी टूल के रूप में कार्य करना

आकृति: III.3: केंद्र सरकार के कर विवरण के घटक



आकृति: III.4: अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान केंद्र के प्रत्यक्ष करों में वृद्धि उनके दीर्घावधि औसत से अधिक है



जीएसटी - वस्तु एवं सेवा कर, यू.ई.डी.- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सी.आई.टी. - कॉर्पोरेट टैक्स, पी.आई.टी.- आयकर
 स्रोत: केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2023

सकल कर राजस्व प्रत्यक्ष कर एवं निगम कर निगम कर के अलावा आय पर कर
 स्रोत: सीजीए कार्यालय

3.11 जबकि प्रत्यक्ष करों ने राजस्व में हुई तेजी की सुरक्षा की है, अप्रत्यक्ष करों जैसे कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क ने वैश्विक महामारी में राजकोषीय कार्रवाई के दौरान फ्लेक्सीबल पॉलिसी टूल के रूप में काम किया है। जब महामारी वर्ष वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वैश्विक तेल की कम कीमतों ने पेट्रोलियम पर कर बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया, तो सरकार ने राजस्व पूल को बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया। इसके बाद, जब अन्य करों में सुधार हुआ, और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव बना, तो सरकार ने उपभोक्ताओं पर बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए नवंबर 2021 और मई 2022 में उत्पाद शुल्क घटा दिया। वित्तीय वर्ष 2023 के उत्पाद शुल्क संग्रह पर बजट अनुमान में 15 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अपेक्षा के अनुरूप, अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान उत्पाद शुल्क संग्रह में वर्ष दर वर्ष आधार पर 20.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।


3.12 वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान आवश्यक आयातित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए, खाद्य तेलों, दालों, सूत, स्टील आदि पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम किया गया था। तथापि, चालू वर्ष के दौरान उच्च आयात के कारण वर्ष-दर-वर्ष अप्रैल-नवंबर 2022 (तालिका 2) की अवधि में सीमा शुल्क संग्रह में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2019 की इसी अवधि के दौरान हुई औसत वृद्धि से अधिक है।

वस्तु एवं सेवा कर आधारित रिटर्न को स्थिर करना

3.13 केंद्र और राज्य सरकारों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत के रूप में विकसित और स्थिर हो गया है (बॉक्स। देखें)। उनका कुल सकल जीएसटी संग्रह, अप्रैल से दिसंबर 2022 तक 13.40 लाख करोड़ था। इस प्रकार, 24.8 प्रतिशत (चित्र 5) वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। 1.5 लाख करोड़ रु. (चित्र 6) के औसत मासिक संग्रह के साथ चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी महीनों में जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि हुई। वैश्विक महामारी के बाद तेजी से हुई आर्थिक रिकवरी हाल ही में किए गए कई प्रणालीगत


परिखर्तनों जीएसटी चोरी करने वालों और फर्जी बिलों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के साथ और जीएसटी परिषद द्वारा असंगत कर संरचना को सही करने के लिए किए गए विभिन्न तर्क संगत उपायों के संयुक्त प्रभाव के कारण जीएसटी संग्रह में सुधार हुआ है। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप जीएसटी का दायरा दोगुना हो गया है, जिसमें जीएसटी करदाताओं की संख्या वर्ष 2017 में 70 लाख से बढ़कर वर्ष 2022 में 1.4 करोड़ से अधिक हो गई है। सीधे तौर पर सरकारी राजस्व में इजाफा करने के अलावा, जीएसटी से आय बेहतर हुई है, जिसका आयकर संग्रह और आर्थिक गतिविधि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

आकृति- III.5: अप्रैल से दिसंबर तक संचयी सकल जीएसटी संग्रह में वर्ष-दर-वर्ष उच्च वृद्धि



स्रोत: सीजीए कार्यालय

आकृति III.6: पिछले कई वर्षों से मासिक सकल जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि



स्रोत: राजस्व विभाग

बॉक्स 1: अप्रत्यक्ष कर संग्रह की परिपक्व प्रणाली

क्या जीएसटी लागू होने से भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की वृद्धि में सुधार हुआ है या यह बिगड़ गई है? यह बॉक्स इस प्रश्न पर प्रकाश डालने के लिए एक विश्लेषणात्मक प्रयास करता है।

जीएसटी में समाहित कुल राज्य और केंद्रीय करों ने जीएसटी से पूर्व की अवधि (वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2017) में सीएजीआर 11.53 प्रतिशत का दर्शाई गई। इस अवधि के दौरान सामान्य जीडीपी 11.54 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ी (तालिका 1क की मद 1 से 7 देखें)। चूंकि समाहित करों की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में मामूली रूप से कम थी, अतः वृद्धि एक से नीचे थी और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक के रूप में मानी जा सकती है।

जीएसटी के बाद की अवधि में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, सबसे महत्वपूर्ण रूप से कोविड वैश्विक महामारी का बाह्य झटका। जीएसटी के बाद के वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023) में सामान्य जीडीपी में 9.6 प्रतिशत की धीमी सीएजीआर से वृद्धि हुई। तथापि, जीएसटी संग्रह में 10.9 प्रतिशत के सीएजीआर से वृद्धि हुई है (तालिका के मद 8 से 10 देखें)। इस प्रकार, कुल जीएसटी संग्रह में लगभग 1.1 की वृद्धि देखी गई है। यह तब भी हुआ है जब प्रभावी जीएसटी दर शुरुआत से गिर गई है (आरबीआई के अनुसार वर्ष 2017 में 14.4 प्रतिशत से घटकर 2019 में 11.6 प्रतिशत)।

²PMEAC Report- 'GST-Connecting the remaining dots', June 2022

बेहतर कर संग्रह की क्षमता जीएसटी के पक्ष में मुख्य तर्कों में से एक था। अब तक के साक्ष्यों से पता चलता है कि वास्तव में जीएसटी में पूर्व-जीएसटी प्रणाली की तुलना में अधिक वृद्धि दिख रही है। अर्थव्यवस्था में भविष्य में संसाधन जुटाने के लिए यह शुभ संकेत है।

तालिका 1क: जीएसटी में समाहित सभी करों के प्रदर्शन की तुलना (पूर्व बनाम जीएसटी के बाद की अवधि)

तालिका 1.क जीएसटी से पहले की अवधि

	वित्तीय वर्ष 2013	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2015	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	सीएजीआर (वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2017)
लाख करोड़ रु.						
जीएसटी में सम्मिलित राज्य कर						
1. राज्य का जीएसटी पोर्टल पर सम्मिलित कुल कर संग्रह	2.86	3.09	3.32	3.97	3.92	
2. जीएसटी में सम्मिलित संबंधित कुल राज्य कर @	3.22	3.48	3.73	4.41	4.41	
3. जीएसटी में सम्मिलित संबंधित कुल राज्य कर						
राज्य का जीएसटी पोर्टल पर सम्मिलित कुल कर संग्रह	0.33	0.35	0.34	0.37	0.60	
4. सेवा कर	1.33	1.55	1.68	2.11	2.54	
5. जीएसटी में सम्मिलित कुल केंद्रीय कर	1.66	1.90	2.02	2.48	3.14	
6. जीएसटी में सम्मिलित कुल कर (केंद्र + राज्य)	4.88	5.37	5.75	6.90	7.55	11.53%
7. नाममात्र जीडीपी	99.44	112.34	124.68	137.72	153.92	11.54%
जीएसटी में सम्मिलित कुल करो की वृद्धि						0.9988

तालिका 1.ख जीएसटी के बाद की अवधि

	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 2023*	सीएजीआर
लाख करोड़ रु.						
कुल जीएसटी संग्रह (घरेलू आपूर्ति)	8.77	9.44	8.66	10.98	12.94	10.2%
कुल जीएसटी संग्रह (आयात पर जीएसटी सहित)	11.77	12.22	11.37	14.90	17.80	10.9%
भारत की नाममात्र जीडीपी	189.00	200.75	198.01	236.65	273.09	9.6%
जीएसटी संग्रह की वृद्धि (घरेलू आपूर्ति)						1.0603
जीएसटी संग्रह की वृद्धि (आयात पर जीएसटी सहित)						1.1299

नोट: (क) जीएसटी में सामूहिक राज्य करों को जीएसटी पोर्टल से लिया गया है। चूँकि पोर्टल में प्रस्तुत किए गए आकड़ों में गुजरात, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश के लिए सामूहिक राज्य कर शामिल नहीं हैं, सभी समावेशी संग्रह आंकड़ों (पंक्ति ख) पर पहुंचने के लिए आकड़ों को बढ़ाया गया है।

(ख) ' मई से दिसंबर 2022 तक के औसत संग्रहण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023 के संग्रहण में विस्तार किया गया है।

स्रोत: जीएसटी पोर्टल, केंद्रीय बजट, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय विज्ञप्ति

केंद्र गैर-कर राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के ट्रैक पर

14. केंद्र के गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त लाभांश और लाभ तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए होने वाली बाहरी अनुदान और प्राप्तियां शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 के बजट में चालू वर्ष के दौरान गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का संग्रहण कम होने की परिकल्पना की गई है (वित्तीय वर्ष 2022 के पीए की तुलना में लगभग 22.5 प्रतिशत कम) (तालिका 3)। नवंबर 2022 तक बजट राशि का 73.5 प्रतिशत एकत्र किया जा चुका है।

तालिका III.3: केन्द्र सरकार के गैर-कर राजस्व की प्रवृत्ति

	2018 वित्तीय वर्ष	2019 वित्तीय वर्ष	2020 वित्तीय वर्ष	2021 वित्तीय वर्ष	2022 प्रतिवर्ष	वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान	अप्रैल-नवम्बर 2022
	(लाख करोड़ रु. में)						
ब्याज प्राप्तियां	0.14	0.12	0.12	0.17	0.22	0.18	0.17
लाभांश और मुनाफा	0.91	1.13	1.86	0.97	1.61	1.14	0.68
विदेशी अनुदान	0.04	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01
अन्य	0.84	1.07	1.27	0.90	1.64	1.34	1.12
गैर-कर राजस्व	1.93	2.36	3.27	2.08	3.48	2.70	1.98

Source: Office of CGA

विनिवेश के प्रति प्रतिबद्ध परन्तु विदेशी कारकों पर निर्भर

3.15 केंद्र सरकार के कर और गैर-कर राजस्व के अलावा, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, जिसमें ऋण और अग्रिम की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं, केंद्र सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2023 (18 जनवरी 2023 तक) के दौरान, विभिन्न तरीकों/लिखतों का उपयोग करके 154 लेनदेन के माध्यम से विनिवेश से प्राप्त आय के रूप में लगभग रु.4.07 लाख करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। इसमें अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त रु.3.02 लाख करोड़ और रणनीतिक विनिवेश लेनदेन (10 सीपीएसई - एचपीसीएल, आरईसी, डीसीआईएल, एचएससीसी, एनपीसीसी, नीपको, टीएचडीसी, कामराजार पोर्ट, एयर इंडिया और एनआईएनएल) से प्राप्त रु. 69,412 करोड़ शामिल हैं।

3.16. पिछले तीन वर्षों के दौरान वैश्विक महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता, भू-राजनीतिक संघर्ष और संबंधित जोखिमों ने सरकार की विनिवेश लेनदेन संबंधी योजनाओं और संभावनाओं के सामने चुनौतियां पेश की हैं। फिर भी, सरकार ने नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति और आस्ति मुद्रीकरण रणनीति को लागू करके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश के प्रति पुनः अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है। वित्तीय वर्ष 2023 में 65,000 करोड़ रुपये की बजट राशि में से, 18 जनवरी 2023 तक 48 प्रतिशत संग्रह किया गया है।


केंद्र सरकार के व्यय का प्रदर्शन

पुनः प्राथमिकता की व्यावहारिक व्यय नीति

3.17 पिछले कुछ वर्षों में संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए काउंटर साइकल राजकोषीय नीति संबंधी उपायों के महत्व पर बल दिया गया है। वैश्विक महामारी ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान अतिरिक्त व्यय संबंधी आवश्यकताओं को अनिवार्य कर दिया। वित्तीय वर्ष 2021 में केंद्र सरकार का कुल व्यय बढ़कर जीडीपी


का 17.7 प्रतिशत हो गया, जो पिछले 5-वर्ष की औसत जीडीपी के 12.8 प्रतिशत से अधिक है (अनुलग्नक 1: तालिका 2)। सरकार ने अंशांकित तरीके से अपने व्यय को बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। कमजोर वर्गों के लिए बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर, सरकारी व्यय में उत्पादक घरेलू पूंजीगत व्यय पर बल दिया गया। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2022 में कुल केंद्र सरकार का व्यय कम करके जीडीपी (पीए) का 16 प्रतिशत कर दिया गया था, और इसका एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय (चित्र 7) के लिए एकत्र किया गया था। केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय में जीडीपी के 1.7 प्रतिशत (वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2020) के दीर्घकालिक औसत से वित्तीय वर्ष 2022 पीए में जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक की लगातार वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2023 में इसे जीडीपी के 2.9 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। (चित्र 8)। यह वर्षों के दौरान सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार पर प्रकाश डालता है।

आकृति III.7: केंद्र सरकार का जीडीपी अनुपात में कैपेक्स पूर्व के दीर्घावधि औसत से अधिक है




स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज, सीजीए कार्यालय

आकृति III.8: केंद्र सरकार के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का बढ़ता हुआ अंश



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज, सीजीए कार्यालय

आकृति III.9: अप्रैल से नवम्बर की अवधि में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में बड़ी वृद्धि



स्रोत: राजस्व विभाग

केपेक्स आधारित वृद्धि उत्साह लौटाने और कर्ज के स्तर नियंत्रित करने के लिए

3.18. निरपेक्ष रूप से, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अभूतपूर्व 7.5 लाख करोड़ रु. के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अप्रैल से नवंबर 2022 तक 59.6 प्रतिशत से अधिक खर्च किया जा चुका है। इस अवधि के दौरान, पूंजीगत व्यय में वर्ष-दर-वर्ष 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2020 की इसी अवधि में दर्ज की गई 13.5 प्रतिशत की दीर्घकालिक औसत वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक है। (चित्र 9)

3.19. सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय, विशेष रूप से सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे और आवास तथा शहरी मामलों जैसे अवसंरचनात्मक-गहन क्षेत्रों पर बल देने से विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है (तालिका 4)। जबकि ओर, पूंजीगत व्यय जोखिम से बचने के समय में कुल मांग को मजबूत करता है और निजी खर्च में वृद्धि करता है; यह लंबी अवधि की आपूर्ति-पक्ष संबंधी उत्पादक क्षमता को भी बढ़ाता है। हाल के महीनों में निजी क्षेत्र के निवेश में वापसी के शुरुआती संकेतों के साथ, पूंजीगत व्यय ने अपनी भूमिका निभाई है (विवरण अध्याय 1 में)। सभी दिशाओं से कैपेक्स बढ़ाने पर जोर देने के लिए, केंद्र ने लंबी अवधि के ब्याज मुक्त ऋण और कैपेक्स से जुड़े अतिरिक्त उधार प्रावधानों के रूप में राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की।

तालिका III. 4: केंद्र का अवसंरचना से जुड़े क्षेत्रों पर आधारित पूंजीगत व्यय

	बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2023	अप्रैल-नवम्बर 2022	अप्रैल-नवम्बर 2021	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)
		लाख करोड़ रु.		
सड़क परिखहन एवं राजमार्ग	1.88	1.49*	0.74	102.10
रेलवे	1.37	1.15	0.65	76.65
रक्षा सेवाएं (पूंजीगत परिखयय)	1.52	0.73	0.73	0.88
राज्यों को हस्तांतरित	1.12	0.43	0.08	438.54
दूरसंचार	0.54	0.25	0.03	692.43
आवास और शहरी कार्य	0.27	0.11	0.17	-32.47
आण्विक ऊर्जा	0.14	0.09	0.06	47.50
रक्षा (सिविल)	0.08	0.05	0.04	22.13
पुलिस	0.11	0.05	0.03	53.22
अंतरिक्ष	0.07	0.02	0.04	-48.74
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	0.06	0.01	0.02	-16.33

नोट: * जिनमें से 1.44 लाख करोड़ रु. पूंजीगत वण्ड से रिजर्व निधियों में अंतर-लेवा-हस्तांतरण के कारण है।

स्रोत: सीजीए कार्यालय

भू-राजनीतिक विकास से राजस्व व्यय संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि

3.20 केंद्र के राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण घटकों में ब्याज भुगतान, प्रमुख सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, रक्षा राजस्व व्यय और राज्यों को स्थानांतरण शामिल हैं (तालिका 5)। केंद्र के राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध है और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त राजकोषीय हेडरूम बनाने में सीमित लचीलेपन की अनुमति देता है। तथापि, कुल मांग को प्रोत्साहित करने और फनर्वितरण संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए व्यय को फिर से प्राथमिकता देना और सब्सिडी को यफक्तिसंगत बनाना आवश्यक साधन (टूल) है।

तालिका III. 5: केंद्र सरकार द्वारा किए गए राजस्व व्यय की प्रमुख मदें

मदें	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022 प्रतिवर्ष*	वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान
(लाख करोड़ रु. में)						
राजस्व व्यय जिसमें से	18.79	20.07	23.51	30.84	32.01	31.95
क. वेतन (वेतन एवं भत्ते)	1.94	2.11	2.28	3.34	3.67	4.10
ख. पेंशन	1.46	1.6	1.84	2.08	1.99	2.07
ग. ब्याज भुगतान	5.29	5.83	6.12	6.80	8.05	9.41
घ. प्रमुख सब्सिडी	1.91	1.97	2.28	7.08	4.46	3.18
ड. रक्षा सेवाएं	1.86	1.96	2.08	2.06	2.29	2.33

नोट: वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वेतन संशोधित अनुमान हैं


स्रोत: बजट दस्तावेज, सीजीए कार्यालय

3.21 वैश्विक महामारी से संबंधित सहायता को समाप्त करने के साथ, केंद्र सरकार का राजस्व व्यय वैश्विक महामारी वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी के 15.6 प्रतिशत से घटाकर वित्तीय वर्ष 2022 पीए में जीडीपी का 13.5 प्रतिशत कर दिया गया (अनुलग्नक 1: तालिका 2)। सब्सिडी व्यय में कमी के कारण यह संकुचन किया गया था क्योंकि अर्थव्यवस्था वैश्विक महामारी से उबर गई थी। सब्सिडी व्यय को वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी के 3.6 प्रतिशत से घटाकर वित्तीय वर्ष 2022 पीए में जीडीपी का 1.9 प्रतिशत कर दिया गया। इसको आगे वित्तीय वर्ष 2023 में जीडीपी के 1.2 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था।

3.22 भू-राजनीतिक संघर्ष के अचानक प्रकोप के परिणामस्वरूप खाद्य, उर्वरक और ईंधन के लिए उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ीं, लोगों को सहायता प्रदान करने और बृहत् आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उच्च खाद्य और उर्वरक सब्सिडी की आवश्यकता थी। अप्रैल से नवंबर 2022 तक सब्सिडी पर बजटीय व्यय का लगभग 94.7 प्रतिशत उपयोग किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में, केंद्र सरकार ने खाद्य सब्सिडी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेओवाई) तथा वर्ष के दौरान आवश्यक उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.09 लाख करोड़ रु. के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन के लिए अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपये की मांग की है। परिणामस्वरूप, अप्रैल से नवंबर 2022 तक राजस्व व्यय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई वृद्धि से अधिक है (तालिका 1)।

3.23 वैश्विक महामारी से पूर्व के वर्षों के दौरान राजस्व व्यय के एक अन्य प्रमुख घटक, ब्याज भुगतान, ने गैर-ऋण प्राप्तियों और राजस्व व्यय के एक स्थिर अनुपात बनाए रखा था (चित्र 10)। वैश्विक महामारी के दौरान संसाधन संबंधी उच्चतर आवश्यकताओं और कम राजस्व संग्रह के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा अधिक उधारी ली गई। वैश्विक महामारी फैलने के बाद प्राप्तियों के अनुपात में ब्याज के भुगतान बढ़ गए। तथापि, मध्यम अवधि में, जैसे-जैसे हम राजकोषीय ग्लाइड पथ पर आगे बढ़ेंगे, राजस्व में वृद्धि, तीव्र आस्ति मुद्रीकरण, दक्षता लाभ और निजीकरण से सार्वजनिक ऋण का भुगतान करने में मदद मिलेगी, इस प्रकार ब्याज भुगतान में कमी आएगी और अन्य प्राथमिकताओं के लिए अधिक धन जारी होगा।

रेखाचित्र III.10: संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उच्च-ब्याज भुगतान को कम किया जाना



स्रोत: सीजीए कार्यालय, बजट दस्तावेज

3.24. केंद्र सरकार की वित्तीय व्यवस्था के इस अवलोकन से यह स्पष्ट है कि केंद्र की चालू वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त व्यय आवश्यकताओं को अनुमानित से अधिक राजस्व संग्रह द्वारा पूरा किए जाने की आशा है। इस प्रकार, यह आशा है कि वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान तक पहुंचना केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं होगा। लचीले आर्थिक विकास, निरंतर राजस्व वृद्धि और मध्यम अवधि में सावधानीपूर्वक व्यय प्रबंधन के साथ, केंद्र सरकार मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण द्वारा उल्लिखित राजकोषीय पथ के साथ ट्रैक पर होगी। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए बजटीय सुधार राजकोषीय नीति संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेंगे (बॉक्स 2)।

बॉक्स 2: पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बजट में किए गए प्रमुख सुधार

एक पारदर्शी और संतुलित बजटीय प्रक्रिया बेहतर वित्तीय प्रबंधन होता है। इस खंड में पिछले कुछ वर्षों के दौरान केंद्रीय बजट में शुरू किए गए कुछ प्रमुख प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा की गई है, जिनके परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यय अधिक सक्षम हुआ है।

1. बजट में बेहतर राजकोषीय पारदर्शिता और वास्तविक राजस्व अनुमान

केंद्र सरकार ने सीमा से अधिक के व्यय को सीमा नीचे लाकर अपने वित्तीय विवरणियों और खातों की पारदर्शिता में सुधार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। केंद्र सरकार की अतिरिक्त-बजटीय उधारी को वित्तीय वर्ष 2020 में ₹1.48 लाख करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021 में रुपये 1.21 लाख करोड़ से घटाकर वित्तीय वर्ष 2022 (स.अ.) में ₹750 करोड़ कर दिया गया। बजट में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कोई अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का अनुमान नहीं लगाया गया था।

³Section 3- Budget preparation - Guidelines for Public Expenditure Management (IMF, 1999)- <https://www.imf.org/external/pubs/ft/expend/guide3.htm>

स्वच्छ राजकोषीय लेवांकन के अलावा, बजट 2022 ने अपने राजस्व अनुमानों को यथार्थवादी मान्यताओं पर आधारित किया, इस प्रकार अनिश्चित वैश्विक वातावरण में सरकार को एक बफर प्राप्त हुआ। ये उपाय ठोस वित्तीय प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को विश्वसनीय रूप से प्रदर्शित करते हैं और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त बफर प्रदान करते हैं।

2. योजना-गैर योजना वर्गीकरण को समाप्त करना⁴

वित्तीय वर्ष 2018 के बजट में सरकारी व्यय के योजनागत और गैर-योजनागत वर्गीकरण को बंद कर दिया गया है। इस सुधार ने सरकारी व्यय के राजस्व और पूंजी वर्गीकरण पर अधिक बल दिया। वर्षों से, एक व्यापक समझ यह रही है कि योजनागत व्यय अच्छे थे और गैर-योजनागत व्यय खराब थे, जिसके परिणामस्वरूप बजटीय में आवंटन में कमी आई। इस सुधार ने प्रभावी नियोजन और बजट में संसाधनों के आवंटन को सक्षम किया।

3. रेल बजट का मुख्य बजट में विलय⁵

वित्तीय वर्ष 2018 से रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया था। इस सुधार ने सरकार की वित्तीय स्थिति की समग्र तस्वीर प्रस्तुत की। इस पहल में राजमार्गों, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच मल्टीमॉडल परिवहन योजना को सुगम बनाने की परिकल्पना की गई थी, जिसे गतिशक्ति के माध्यम से बाद के वर्षों में मजबूत किया गया है।

इस सुधार ने रेलवे और केंद्र सरकार दोनों के लिए संसाधनों की दक्षता बढ़ाने में मदद की है। जबकि इस विलय ने रेलवे को सरकारी राजस्व के लाभांश का भुगतान करने से छूट दी है, तथापि यह संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय को मध्य-वर्ष की समीक्षा में अधिक अवसर प्रदान करता है। हाल के वर्षों में इसने वित्त मंत्रालय को सभी क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय पर एक सुसंगत बल देने को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है।

4. बजट की तारीख को बदलकर 1 फरखरी तक शिफ्ट करना

बजट की तारीख को वित्तीय वर्ष 2018 के बजट से 1 फरखरी कर दिया गया था। बजट को एक महीने पहले प्रस्तुत करने से बजट चक्र के जल्द पूरा होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसने मंत्रालयों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से योजनाओं की बेहतर आयोजना और निष्पादन सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाया है।

राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का अवलोकन


राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रदर्शन

3.25 वित्तीय वर्ष 2021 में वैश्विक महामारी से बुरी तरह से प्रभावित होने के बाद राज्य सरकारों ने वित्तीय वर्ष 2022 में अपनी वित्तीय व्यवस्था में सुधार किया। राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), जो वैश्विक महामारी से प्रभावित वर्ष में जीडीपी के 4.1 प्रतिशत तक बढ़ गया था, वित्तीय वर्ष 2022 में घटकर 2.8 प्रतिशत हो गया था। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए, राज्यों के लिए समेकित जीएफडी-जीडीपी अनुपात वित्तीय वर्ष 2023 में जीएसडीपी के 3.4 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया गया है (चित्र III- 11)। तथापि, सीएजी के कार्यालय द्वारा जारी राज्यों के मासिक राजकोषीय लेखा आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-नवंबर 2022 से, प्रमुख 27 राज्यों की संयुक्त उधारी वर्ष के लिए उनके कुल बजटीय उधार के 33.5 प्रतिशत तक ही पहुंच पाई है (चित्र III-12)।

⁴<https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=136996>

⁵<https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=153672>

चित्र III-11: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों के चित्र III-12: अप्रैल-नवंबर के दौरान राज्यों का कम राजकोषीय घाटा



स्रोत: राज्यों के बजट जनवरी, 2023, आरबीआई का अध्ययन, सीएजी कार्यालय

नोट: चित्र 12 में 27 राज्यों के आंकड़े शामिल हैं

3.26 यह ध्यान रखना उचित है कि राज्यों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उधार लेने की सीमा का उपयोग नहीं किया था। राज्य सरकारों की संसाधन संबंधी बाधाओं को देखते हुए, केंद्र ने राज्यों के लिए निवल उधारी सीमा (एनबीसी) को वित्तीय वर्ष 2021 में जीएसडीपी के 5 प्रतिशत, वित्त वर्ष 22 में जीएसडीपी के 4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023 में जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।

3.27 राज्य सरकारों के वित्तीय वर्ष 23 बजट अनुमानों के अनुसार, राज्यों के संयुक्त स्वयं के कर राजस्व और स्वयं के गैर-कर राजस्व को वित्त वर्ष 22 सं.अ. के मुकाबले क्रमशः 17.5 प्रतिशत और 25.6 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान था। यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 22 सं.अ. में देखे गए वृद्धि की गति की निरंतरता है। व्यय पक्ष पर, वित्तीय वर्ष 22 ब.अ. में राजस्व और पूंजीगत व्यय क्रमशः वित्तीय वर्ष 22 सं.अ. के मुकाबले 10.4 प्रतिशत और 16 प्रतिशत बढ़ने की परिकल्पना की गई थी। राज्य के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पूंजीगत परिव्यय, पूंजीगत व्यय का एक हिस्सा है, ने संशोधित अनुमानों की तुलना में अनंतिम वास्तविक में उच्च वृद्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 22 पीए में राज्यों का पूंजीगत परिव्यय 31.7 प्रतिशत बढ़ा। यह वृद्धि मजबूत राजस्व उछाल और राज्यों को भुगतान की अग्रिम निर्गम, जीएसटी मुआवजा भुगतान और ब्याज मुक्त ऋण के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के कारण है। राज्य के वित्त की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर आगामी भागों में चर्चा की गई है।

सहकारी राजकोषीय संघवाद एक भलीभांति से लक्षित राजकोषीय नीति को संचालित करता है

केंद्र से राज्यों में हस्तांतरण

3.28 राज्यों को निधियों के हस्तांतरण में राज्यों को हस्तांतरित केंद्रीय करों, वित्तीय आयोग के अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस), और अन्य हस्तांतरणों में राज्यों का हिस्सा शामिल है। वित्तीय वर्ष 2019 और वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमानों के बीच राज्यों को कुल हस्तांतरण में वृद्धि हुई है (तालिका पृष्ठ 6 देखें)।

तालिका III 6: केंद्र से राज्यों को किए गए हस्तांतरण का विवरण (राज्यों के लिए अंतरण के अलावा)

	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान
	लाख करोड़ रु. में				
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	3.0	3.1	3.8	4.2	4.4
वित्त आयोग के अनुदान	0.9	1.2	1.8	2.1	1.9
अन्य अनुदान/ऋण/हस्तांतरण	0.9	2.0	1.9	2.3	3.0

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज

3.29 वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान, स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान और आपदा प्रबंधन अनुदान के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023 में 1.92 लाख करोड़ रु. की राशि के आवंटन की सिफारिश की थी। चालू वर्ष के दौरान जारी अनुदानों का विवरण नीचे तालिका 7 में देखा जा सकता है।

तालिका III 7: 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों को अनुदान का आवंटन (करोड़ रु)

क्र.सं.	घटक	वित्तीय वर्ष 2023 के लिए आवंटन	जारी की गई राशि (22 नवम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार)
1	अंतरण के बाद राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अनुदान	86,201	57,467
2	आपदा प्रबंधन संबंधी अनुदान (केंद्रीय अंश)	23,294	10,976
3	स्थानीय निकायों से संबंधित अनुदान	69,421	28,609
4.	स्वास्थ्य क्षेत्र को अनुदान	13,192	275
	कुल योग	1,92,108	1,61,230

स्रोत: व्यय विभाग

संकट के दौरान राज्य के राजस्व में सहायता करना

3.30 राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों द्वारा एक अच्छी तरह से लक्षित राजकोषीय नीति के महत्व को स्वीकार करते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था में सहायता करने और राज्यों को सुधारवादी एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। राज्यों के जीएसटी मुआवजे में हुई कमी को पूरा करने के लिए, सरकार ने कोष से नियमित जीएसटी मुआवजा जारी करने के अलावा वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 2.69 लाख करोड़ रुपये उधार लिए और इस धनराशि को एक-एक करके राज्यों को जारी कर दिया। इसके अतिरिक्त, शीघ्र निधियां पहुंचाने के लिए राज्यों को पहले उपकर भुगतान और कर अंतरण संबंधी किश्ते प्रदान कर दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान, भारत सरकार ने 30 जून 2022 तक राज्यों को देय कुल जीएसटी मुआवजे के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये जारी किए। भले ही नवंबर 2022 तक कुल उपकर संग्रह राज्यों को यह पूरा भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था, केंद्र ने शेष राशि अपने संसाधनों से जारी की। बॉक्स 3 में राज्यों को संसाधनों प्रदान करने पर जीएसटी के प्रभाव की चर्चा की गई है।

बॉक्स 3: जीएसटी और राज्यों को संसाधन प्रदान करना

पिछले पांच वर्षों में जीएसटी से संबंधित अनुभवों के आधार पर दर युक्तिकरण, रिटर्न नाइलिंग को सरल बनाने, उत्पादों पर मुआवजा उपकर, राज्यों को मुआवजा भुगतान आदि के बारे में कई नीतिगत बहस हुई हैं। एक प्रासंगिक प्रश्न जिसका सावधानीपूर्वक अध्ययन नहीं किया गया, वह है राज्यों के लिए संसाधनों के मुहैया कराने जीएसटी का

प्रभाव। जीएसटी से पहले और बाद की व्यवस्थाओं में राज्यों को मिलने वाले कुल राजकोषीय संसाधनों की तुलना करते समय, अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की तुलना में करों के सापेक्ष प्रदर्शन को मापना आवश्यक है। जीएसटी पूर्व की व्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था में नाममात्र 11.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई तो जीएसटी में समाहित केंद्र और राज्य करों से राज्यों को अर्जित होने वाले कुल राजकोषीय संसाधनों (अंतरण सहित) में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें 0.97 की वृद्धि निहित है (तालिका 3क देखें)।

तालिका 3क- जीएसटी में समाहित करों से राज्यों को प्राप्त कुल राजकोषीय संसाधन (अंतरण सहित)

	वित्तीय वर्ष 2013	वित्तीय वर्ष 2014	वित्तीय वर्ष 2015	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	सीएजीआर (वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2017)
₹ लाख करोड़ रु.						
जीएसटी में समाहित राज्यकर						
जीएसटी में सम्मिलित राज्य कर	3.22	3.48	3.73	4.41	4.41	
जीएसटी में सम्मिलित केंद्रीय कर	1.66	1.90	2.02	2.48	3.14	
अंतरण कारक	0.32	0.32	0.32	0.42	0.42	
जीएसटी में सम्मिलित करों से राज्यों को के लिए कुल राजकोषीय संसाधन	3.75	4.08	4.38	5.46	5.73	11.1%
नाममात्र जीडीपी	99.44	112.34	124.68	137.72	153.92	11.5%
राज्यों को देय जीएसटी में सम्मिलित करों से जीएसटी से पहले राजस्व की वृद्धि						0.97

जीएसटी के बाद की अवधि में, जीएसटी से राज्यों को प्राप्त होने वाले कुल राजकोषीय संसाधनों (केंद्र के जीएसटी से अंतरण सहित) में जीएसटी से पहले की अवधि (तालिका 3ख) की तुलना में अधिक वृद्धि हुई। प्रभावी भारत औसत जीएसटी दर प्रारंभ के 14.4 प्रतिशत से घटकर 2019 में 11.6 प्रतिशत (आरबीआई) रह गया और इसे देखते हुए यह प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

तालिका 3ख- जीएसटी प्रणाली से राज्यों को प्राप्त कुल वित्तीय संसाधन (अंतरण सहित)

	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 23	सीएजीआर (वित्तीय वर्ष 2019 की अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2023)
₹ लाख करोड़ रु.						
सीजीएसटी संग्रह	2.02	2.27	2.10	2.69	3.14	
एसजीएसटी संग्रह	2.79	3.09	2.73	3.44	3.98	
आईजीएसटी संग्रह	5.99	5.87	5.66	7.62	9.40	
वर्ष में भुगतान किया गया जीएसटी मुआवजा	0.85	1.66	1.68	0.69	0.35	
एक के बाद एक ऋण			1.10	1.59		

	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 23*	सीएजीआर (वित्तीय वर्ष 2019 की अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2023)
जीएसटी प्रणाली से राज्यों के लिए कुल केन्द्रीय संसाधन						
(1) एसजीएसटी + राज्यों का आईजीएसटी + केंद्र के जीएसटी से अंतरण	7.89	8.21	7.61	9.96	11.95	10.9%
(2) एसजीएसटी + राज्यों का आईजीएसटी + केंद्र के जीएसटी से अंतरण + मुआवजा	8.74	9.87	9.29	10.65	12.30	8.9%
(3) एसजीएसटी + राज्यों का आईजीएसटी + केंद्र के जीएसटी से अंतरण + मुआवजा + ऋण	8.74	9.87	10.39	12.24	12.30	8.9%
भारत की नाममात्र जीडीपी	189.00	200.75	198.01	236.65	273.09	9.6%
राज्यों को देय जीएसटी राजस्व में जीएसटी के बाद हुई वृद्धि (मुआवजा/ऋण को छोड़कर)						1.13

नोट: (क) संबंधित वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अंतरण कारक वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2015 तक 0.32 वित्तीय वर्ष 2016 से वित्तीय वर्ष 2020 तक 0.42; और वित्तीय वर्ष 2021 से आगे 0.41 माना जाता है।

(ख) राज्यों के लिए आईजीएसटी को कुल आईजीएसटी संग्रह का 50: माना जाता है। केंद्र के जीएसटी में राज्य का अंश सीजीएसटी और केंद्र के आईजीएसटी हिस्से के साथ अंतरण कारक को गुणा करके प्राप्त किया जाता है।

(ग) मई से दिसंबर 2022 तक के औसत संग्रह के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023 के संग्रह का बहिर्वेशन किया गया है।

(घ) उपयोग किए गए जीएसटी संग्रह घरेलू आपूर्ति और आयात सहित सकल संग्रह हैं। तथापि, घरेलू आपूर्ति के माध्यम से केवल जीएसटी संग्रह के साथ, जीएसटी के बाद की वृद्धि अभी भी 1 (=1.05) से अधिक है।

जीएसटी से राजस्व के नियमित प्रवाह के अलावा, जीएसटी के बाद की अवधि में राज्यों को मुआवजा भी प्रदान किया गया था। चूंकि जीएसटी एक नई कर व्यवस्था थी, पांच साल के लिए प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की स्थिर राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करके नई बनाम फरानी कर व्यवस्था में किसी भी अंतर से राज्यों को बचाने के लिए मुआवजे की योजना तैयार की गई थी। मुआवजे की व्यवस्था राज्यों को जीएसटी के अंतर-राज्य वितरण में अंतर को दूर करने में मदद करने के लिए भी थी। यहां यह ध्यान देना उचित है कि आर्थिक विकास में गिरावट के परिणामस्वरूप कर राजस्व में गिरावट की स्थिति में मुआवजा प्रणाली को राज्य के राजस्व के बफर के रूप में परिकल्पित नहीं किया गया था।

तथापि, वैश्विक महामारी की घटना ने जीएसटी मुआवजे की प्रासंगिकता को राज्यों के राजस्व के बफर के रूप में विशिष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, आर्थिक दबाव के कारण केंद्र और राज्यों के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सीजीएसटी और मुआवजा उपकर संग्रह में गिरावट के मद्देनजर राज्यों द्वारा मुआवजे की आवश्यकता में काफी वृद्धि हुई है। एक संकट के बीच सीमित राजकोषीय संसाधन होने के बावजूद, केंद्र ने निधियां उधार ली और नियमित जीएसटी मुआवजे जारी करने के अलावा उन्हें एक-एक करके ऋण के आधार पर राज्यों को दे दिया। इन ऋणों को जीएसटी मुआवजा उपकर कोष में भविष्य में होने वाली आय से चुकाया जाएगा और इसलिए यह राज्यों पर बोझ नहीं है।

तालिका 3ग: मुआवजा योजना ने वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक सीजीएसटी राजस्व में सहायता की।

	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	वित्तीय वर्ष 2023*
लाख करोड़ रु., निर्दिष्ट न होने तक					
(1) एसजीएसटी+ आईजीएसटी में राज्य का अंश	5.78	6.03	5.56	7.25	8.69
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		4.2%	-7.8%	30.5%	19.8%
(2) एसजीएसटी + आईजीएसटी में राज्य का अंश + मुआवजा	6.63	7.68	7.24	7.94	9.04
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		15.9%	-5.7%	9.7%	13.5%
(3) एसजीएसटी + आईजीएसटी में राज्य का अंश + मुआवजा + ऋण	6.63	7.68	8.34	9.53	9.04
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		15.9%	8.6%	14.3%	-5.2%

नोट: (क) ' मई से दिसंबर 2022 तक के औसत संग्रह के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023 के संग्रह में बहिर्वेशन किया गया है; (ख) वित्तीय वर्ष 2023 में सभी समावेशी एसजीएसटी, मुआवजे और ऋणों (उपर्युक्त तालिका में मद 3) में वर्ष दर वर्ष वृद्धि नकारात्मक है क्योंकि मुआवजा भुगतान केवल जून 2022 तक लागू थे। इस प्रकार, कुल एसजीएसटी (तालिका में मद 1) में वृद्धि की तुलना राज्यों के एसजीएसटी राजस्व के प्रदर्शन को मापने का एक बेहतर उपाय है।

(ग) उपरोक्त विश्लेषण में घरेलू आपूर्ति और आयात दोनों से होने वाले एसजीएसटी और आईजीएसटी संग्रह शामिल हैं। तथापि, यदि हम घरेलू आपूर्ति पर संग्रह की बात करें, तो तालिका के मद 1 में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2022 में 26.5 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2023 में 17.3 प्रतिशत है।

उपरोक्त विश्लेषण में हम देखते हैं कि जीएसटी की व्यवस्था और इसके कार्यान्वयन तंत्र ने इस प्रकार न केवल राज्यों के राजस्व को एक नई कर प्रणाली की शुरुआती परेशानियों से सुरक्षित रखा है बल्कि पिछले पांच वर्षों के दौरान अभूतपूर्व बाहरी आघातों के बीच राज्यों की वित्तीय व्यवस्था की रक्षा भी की है। जीएसटी के अभाव में, भारतीय राज्यों के पास मुआवजे का कोई सहारा नहीं होता, न ही वे वैश्विक महामारी के दौरान नए और/अथवा उच्च करों के माध्यम से अपने राजस्व को बढ़ाने पर विचार कर सकते थे।

स्रोत: जीएसटी पोर्टल, आरबीआई, केंद्रीय बजट, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्तियां

राज्यों के लिए उधार लेने की बढ़ी हुई सीमा और सुधारों के लिए प्रोत्साहन

3.31 वैश्विक महामारी फैलने के बाद से, केंद्र ने राज्य सरकारों की निवल उधारी सीमा को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) की सीमा से ऊपर रखा है। यह वित्तीय वर्ष 2021 में जीएसडीपी का 5 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2022 में जीएसडीपी का 4 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2023 में जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इस अतिरिक्त उधारी का एक हिस्सा उन सुधारों से जुड़ा था जो राज्यों को उन्हें शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2021 में, अतिरिक्त उधार सीमा का एक हिस्सा 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' प्रणाली को लागू करने, व्यापार करने में आसानी से संबंधित सुधार, शहरी स्थानीय निकाय/संस्थाओं संबंधी सुधारों और बिजली क्षेत्र के सुधारों को लागू करने की शर्तों पर आधारित था। परिणामस्वरूप, 17 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया, 20 राज्यों ने ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस में निर्धारित सुधारों को पूरा किया, 11 राज्यों ने स्थानीय निकाय संबंधी सुधार किए और 17 राज्यों ने पूर्ण/आंशिक रूप से विद्युत क्षेत्र में सुधार किए। इसी तरह, अतिरिक्त उधारी का एक हिस्सा वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान राज्यों द्वारा किए जाने वाले वृद्धिशील पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया था। कैपेक्स लक्ष्य को पूरा करने पर सोलह राज्यों ने अतिरिक्त उधारी प्राप्त की।

3.32 राज्यों के लिए निर्धारित शुद्ध उधार सीमा के अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने बिजली क्षेत्र में राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत के प्रदर्शन-आधारित अतिरिक्त उधार लेने का अवसर प्रदान करने की सिफारिश की थी। वित्तीय वर्ष 2022 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष चार वर्षों के लिए इस विशेष संवितरण की सिफारिश की गई है। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए, निर्धारित सुधार मानदंडों को पूरा करने के लिए 12 राज्यों को रु39,175 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई थी।

राज्यों के पूंजीगत व्यय के संबंध में केंद्रीय सहायता

3.33 केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के तहत 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2022 में राज्यों को क्रमशः 11,830 करोड़ रु. और 14,186 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई। राज्यों को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसईएस) के निजीकरण/विनिवेश और संपत्तियों के मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 में आवंटन का एक भाग निर्धारित किया गया था। वित्तीय वर्ष 23 के दौरान, स्टेट कैपेक्स योजनाओं को और गति प्रदान करने के लिए योजना के तहत आवंटन को बढ़ाकर 1.05 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस राशि में एक बिना शर्त घटक और विशिष्ट सुधारों/पहलों से जुड़े छोटे घटक शामिल हैं (तालिका 8)। विशेष रूप से, यदि राज्य सरकारों को अतिरिक्त उधार सीमा के रूप में इस 1 लाख करोड़ रुपये की अनुमति दी जाती, तो वे केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार पर देय ब्याज दर से अधिक ब्याज दर वहन करते। इसके अतिरिक्त, वे इसका उपयोग राजस्व व्यय के लिए कर सकते हैं। वर्तमान व्यवस्था में यह ब्याज मुक्त ऋण केवल पूंजीगत व्यय करने के लिए है।

तालिका 8: वित्तीय वर्ष 2023 में पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों के लिए विशेष सहायता योजना का ब्यौरा

घटक	आधार	आवंटित	अनुमोदित	जारी किया गया (करोड़ रु.)
I	वित्तीय वर्ष 2023 में कर अंतरण के अनुपात में आवंटन	80000	68,592	31,571
II	पीएम गतिशक्ति से संबंधित व्यय	5,000	1,458	1,458
III	पीएमजीएसवाई	4,000	1,616	1,616
IV	डिजिटाइजेशन के लिए प्रोत्साहन	2,000		
V	ऑप्टिकल फाइबर केबल		2,215	2,011
VI	शहरी सुधार	6,000		
VII	विनिवेश और मुद्रीकरण	5,000		

स्रोत: व्यय विभाग

बॉक्स 4: राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों में सुधार के लिए की गई पहलें।

वैश्विक महामारी ने व्यय की जरूरतों को बढ़ाकर और राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर राज्य की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। यद्यपि केंद्र सरकार ने उपरोक्त पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों की सहायता की है, तथापि राज्य सरकारों ने भी अपने संसाधन पूल को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं।

नगरपालिका की वित्तीय व्यवस्था पर अपनी वर्तमान रिपोर्ट में, आरबीआई ने बताया कि भारत का संपत्ति कर संग्रह ओईसीडी देशों की तुलना में बहुत कम था। राज्यों में करों में व्यापक असमानता है, इस प्रकार भारत में संपत्ति कराधान प्रथाओं में बड़े पैमाने पर सुधार की गुंजाइश पैदा होती है। तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान अपने राज्यों में संपत्ति करों को संशोधित किया है।^{16 7}

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल और असम जैसे कुछ राज्यों तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान अपनी बिजली दरों को संशोधित करने पर खिंचार किया है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश ने एक नई शराब नीति की घोषणा की है, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों शराब/शराब के कारखानों में लाइसेंस शुल्क, नवीनीकरण शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और पंजीकरण शुल्क में वृद्धि की गई है।


इसके अतिरिक्त, कई राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 22 में केंद्र सरकार से अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए एसपीएसईएस के निजीकरण और संपत्तियों के मुद्रीकरण की दिशा में भी प्रयास किए हैं। इन सुधारों से अनुत्पादक संपत्तियों में फंसे धन को निकालने करने और इसे उत्पादक उपयोग के लिए जारी करने में मदद मिलेगी। राज्यों द्वारा अपनाए गए कुछ अन्य राजस्व सृजन उपायों में बकाया भुगतान के लिए असम की परिसमापन योजना, पुराने वैट बकाया के निपटान के लिए हरियाणा की एकमुश्त योजना, और पुराने वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए असम और केरल का हरित कर शामिल हैं।

स्रोत: अवबार की रिपोर्ट, आरबीआई

सरकार का ऋण प्रोफाइल

3.34 वर्ष 2020 में अभूतपूर्व राजकोषीय विस्तार को देखते हुए, दुनिया भर में बढ़ती सरकारी देनदारियां एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरी हैं। आईएमएफ⁸ ने वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 91 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है, जो वैश्विक महामारी से पहले के स्तर से लगभग 7.5 प्रतिशत अधिक है। हालांकि दुनिया भर के देशों ने वैश्विक महामारी के दौरान प्रदान की गई राजकोषीय सहायता को बंद करना शुरू कर दिया था, तथापि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वैश्विक वित्तीय स्थितियों को चुनौती देते हुए बजट नियंत्रणों को कड़ा कर दिया गया। बढ़ते ऊर्जा बिलों से घरों और छोटे व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए कुछ यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं अपने बजट में विस्तार कर रही हैं (चित्र 14)। बढ़ती ब्याज दरों और धीमी वृद्धि की आशंका के साथ मिलकर, ये सभी कारक, प्रमुख ऋणों की निरंतरता को दुनिया भर में चिंता का विषय बनाते हैं।

चित्र III.13: कुछ देशों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक शेष राशि में वृद्धि



स्रोत: आईएमएफ, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया

नोट: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक शेष राशि आईएमएफ से ली गई है; हल्के रंग के बार हाल के महीनों में देशों द्वारा घोषित अतिरिक्त राजकोषीय खर्च को दर्शाते हैं (अप्रत्याशित लाभ करों से उत्पन्न राजस्व को छोड़कर)।

⁶<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/RMF101120223A34C4F7023A4A9E99CB7F7FEF6881D0.PDF>


⁷<https://www.panchayat.gov.in/documents/448457/0/Assess+the+Availability+of+Resources+for+Creating+the+Assets+and+Initiatives+taken+for+Generating+Various+OSR+%281%29.pdf/b4a01029-d4f5-ab38-beeb-b650b269f338?t=1669965866134>

⁸ आईएमएफ राजकोषीय मोनिटर (अक्टूबर 2022)

⁹ वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (अक्टूबर 2022)

3.35 इस वैश्विक पृष्ठभूमि में भारत के सरकारी ऋण प्रोफाइल का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। भारत के संदर्भ में, केंद्र सरकार की कुल देनदारियां, जो पिछले एक दशक में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अपेक्षाकृत स्थिर थीं, जिनमें वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2021 में तेज वृद्धि देखी गई। ऋण में यह वृद्धि वैश्विक महामारी के दौरान कम राजस्व और जीडीपी में तेज गिरावट के कारण बढ़ी हुई अतिरिक्त व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक सरकारी उधारी के परिणामस्वरूप हुई। वित्तीय वर्ष 2021 में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां जीडीपी के 59.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2022 (पी) में 56.7 प्रतिशत हो गई (चित्र 15)। केंद्र सरकार की कुल देनदारियों के प्रमुख घटकों का संक्षिप्त विवरण तालिका 9 में दिया गया है।

चित्र III.14: वैश्विक महामारी के कारण आई तेजी के बाद केंद्र सरकार के ऋण-जीडीपी अनुपात में सुधार



स्रोत: सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के विभिन्न अंक

नोट: वित्तीय वर्ष 2022 के आंकड़े अनंतिम हैं

तालिका 9: केंद्र सरकार की ऋण स्थिति (लाख करोड़ रु. में)

घटक	वित्तीय वर्ष 2016	वित्तीय वर्ष 2017	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022 प्रतिवर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
क. सार्वजनिक ऋण (क1+क2)	57.11	61.50	68.45	75.49	85.65	105.23	121.21
क1. आंतरिक ऋण (क+ख)	53.05	57.42	64.01	70.75	80.20	99.08	114.62
क. बिक्री योग्य प्रतिभूतियां	47.28	50.49	55.10	59.69	65.60	78.59	88.17
ख. गैर-बिक्री योग्य प्रतिभूतियां	5.77	6.93	8.91	11.06	14.60	20.49	26.45
क2. बाह्य ऋण	4.07	4.08	4.45	4.74	5.44	6.15	6.59


ख. सार्वजनिक लेखा . अन्य देनदारियां	8.16	8.57	9.15	9.96	13.70	12.74	11.88
ग. अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआरएस)		0.09	0.24	0.99	1.12	1.39	1.39
घ. कुल देनदारियां (क+ख+ग)	65.27	70.16	77.85	86.35	99.91	116.98	134.08

स्रोत: केंद्रीय बजट और वित्त लेखे (विभिन्न मुद्दे); अनंतिम लेखा, सीजीए।

नोट: कुल देनदारियां शुद्ध समायोजित देनदारियां हैं (वित्तीय वर्ष 2020 से राज्यों और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश, भारत सरकार के नकदी शेष और पाकिस्तान का विभाजन से पहले के ऋण को छोड़कर)


3.36 भारत का सार्वजनिक ऋण प्रोफाइल अपेक्षाकृत स्थिर है और कम मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिम इसकी विशेषता हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉ वाईवी रेड्डी ने जिनेवा (अप्रैल 2018) में दक्षिण केंद्र के अपने भाषण के दौरान, कहा, 'चूंकि भारत का अधिकांश सार्वजनिक ऋण निवासियों के पास है और घरेलू मुद्रा में अंकित है। इसलिए, मैं राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋणों पर कम सैद्धांतिक रहूंगा और संदर्भ पर अधिक जोर दूंगा।' मार्च 2021 के अंत में केंद्र सरकार की कुल शुद्ध देनदारियां में, 94.7 प्रतिशत देनदारियां घरेलू मुद्रा में अंकित थी, जबकि सार्वभौमिक बाहरी ऋण 5.3 प्रतिशत था, जो कम मुद्रा जोखिम को दर्शाता है (चित्र 15)। इसके अतिरिक्त, सार्वभौमिक विदेशी ऋण पूरी तरह से प्राप्त हुए आधिकारिक स्रोतों से है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में अस्थिरता से बचाता है।

चित्र III.15: सार्वजनिक ऋण में विदेशी देयता का अनुपात वित्त वर्ष-2022



स्रोत: लोक ऋण प्रबंधन प्रेकोष्ठ, आर्थिक कार्य विभाग

चित्र III.16: बकाया दिनांकित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों परिपक्वता अवधि का विस्तार



स्रोत: सरकारी ऋण स्थिति पत्र, विभिन्न अंक


नोट: वित्त वर्ष 2022 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

3.37. मार्च 2021 के अंत में भारत में सार्वजनिक ऋण मुख्य रूप से निश्चित ब्याज दरों पर आधारित है, जिसमें अस्थायी आंतरिक ऋण जीडीपी का केवल 1.7 प्रतिशत है। इसलिए ऋण पोर्टफोलियो ब्याज दर की अस्थिरता से अछूता है, जो ब्याज के भुगतान को स्थिरता भी प्रदान करता है। सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की भारत औसत परिपक्वता मार्च 2010 के अंत 9.7 वर्ष थी जो मार्च 2022 के अंत में बढ़कर 11.71 वर्ष हो गई है, इस प्रकार मध्यम अवधि में रोलओवर जोखिम कम हो गया है (चित्र 17)। पिछले कुछ वर्षों में, पाँच वर्षों से कम समय में परिपक्व होने वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के अनुपात में गिरावट आई है, जबकि दीर्घावधि प्रतिभूतियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

सामान्य सरकारी वित्त का समेकन

3.38 सामान्य सरकारी वित्त समग्र रूप से सरकारी क्षेत्र की राजकोषीय स्थिति का अवलोकन प्रदान करता है। चित्र III.17 पिछले कुछ वर्षों में सामान्य सरकारी ऋण और घाटे के रुझान को दर्शाता है। महामारी के कारण केंद्र और राज्यों सरकारों द्वारा किए गए अतिरिक्त उधार के कारण वित्त वर्ष 2021 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामान्य सरकार की देनदारियों में तेजी से वृद्धि हुई। हालांकि, वित्त वर्ष 22 (सं.अ.) में अनुपात अपने चरम बिन्दु से नीचे आ गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामान्य सरकार के घाटे भी वित्त वर्ष 21 में अपने चरम बिन्दु के बाद समेकित हो गए हैं। मध्यम अवधि में सामान्य सरकार से राजकोषीय समेकन के मार्ग का अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है।

चित्र III.17: जीडीपी के अनुपात में सामान्य सरकार की देनदारियां वित्त वर्ष 21 में प्राप्त अपने चरम बिन्दु से नीचे आ गई हैं




स्रोत: आरबीआई

एक सकारात्मक विकास-ब्याज दर का अंतर सरकारी ऋण को स्थायी बनाए रखता है

3.39 हाल के वर्षों में कैपेक्स पर ध्यान देने से निजी उपभोग व्यय और निजी निवेश पर गुणक प्रभावों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा मिलने की संभावना है। उच्च सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से मध्यम अवधि में बढ़े हुए राजस्व संग्रह करने में सुविधा होगी, और इस तरह एक स्थायी राजकोषीय मार्ग सक्षम होगा। भारत सरकार ने कर्ज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कैपेक्स-आधारित विकास रणनीति अपनाई। जीडीपी के अनुपात के रूप में सामान्य सरकारी ऋण मार्च 2020 के अंत में 75.7 प्रतिशत था जो बढ़कर वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2021 के अंत में 89.6 प्रतिशत हो गया। मार्च 2022 के अंत तक इसका घटकर जीडीपी के 84.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। कैपेक्स-आधारित विकास पर जोर देने से भारत विकास-ब्याज दर के अंतर को सकारात्मक बनाए रखने में सक्षम होगा। जैसा कि नीचे चित्र III- 18 में दिखाया गया है, यह अंतर भारत के लिए ऐतिहासिक रूप से सकारात्मक रहा है। एक सकारात्मक विकास-ब्याज दर का अंतर ऋण स्तर को स्थायी बनाए रखता है। बॉक्स 5 दर्शाता है कि कुछ वर्षों के लिए निरंतर आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में राजकोषीय समेकन में सहायता करता है।


आकृति 18: भारत के लिए विकास-ब्याज दर का अंतर



Source: RBI, IMF

3.40 कई देशों में वर्ष 2005 से 2021 तक जीडीपी के अनुपात में ऋण में परिवर्तन की तुलना अधिकांश देशों में पर्याप्त वृद्धि को दर्शाती है। भारत के लिए, यह वृद्धि सामान्य है, जो वर्ष 2005 में जीडीपी के 81 प्रतिशत से वर्ष 2021 में जीडीपी के लगभग 84 प्रतिशत तक रही है (चित्र 19)। यह पिछले 15 वर्षों के दौरान लचीले आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में संभव हुआ है, जिससे सकारात्मक विकास-ब्याज दर में अंतर हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप, जीडीपी व ऋण अनुपात सतत समान बना रहा है।

आकृति 19: कई देशों में वर्ष 2005 और वर्ष 2021 के जीडीपी अनुपात की सामान्य सरकारी ऋण के साथ तुलना



स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2021

बॉक्स 5: राजकोषीय समेकन के मार्ग के रूप में सतत विकास का मार्ग

वैश्विक महामारी के बाद जीडीपी अनुपात के रूप में उच्च राजकोषीय घाटा और दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय है। बढ़े हुए राजकोषीय घाटे और ऋण- जीडीपी अनुपात का समाधान कुछ वर्षों तक लगातार उच्च विकास में निहित है। एक साधारण प्रतितथ्यात्मक प्रयोग से पता चलता है कि भारत के लिए 10 प्रतिशत की निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार का घाटा और ऋण अनुपात बहुत कम हो जाता और यह वैश्विक महामारी के बाद के वर्षों में व्यय के स्तर को समान रखने के बावजूद संभव था।

परिदृश्य 1 के तहत, राजस्व और व्यय को वास्तविक के समान रखते हुए, नाममात्र उच्च जीडीपी वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन राजकोषीय घाटे और ऋण अनुपात के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020 से वित्तीय वर्ष 2022 तक प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि दर मानकर एक प्रतितथ्यात्मक सामान्य जीडीपी जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। प्रतितथ्यात्मक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का वास्तविक राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020 में 4.5 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2021 में 8 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2022 में 6.3 प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया गया है, जो वास्तविक अनुपात से कम है (तालिका 5क की पंक्ति (क) और (ड) देखें)। इसी प्रकार, अनुमानित जीडीपी एवं केंद्र सरकार के ऋण का अनुपात भी वास्तविक ऋण-जीडीपी अनुपात से कम है (तालिका 5क की पंक्ति (ख) और (च) देखें)।

तालिका 5क: निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले कम घाटे और ऋण अनुपात को दर्शाने के लिए प्रतितथ्यात्मक प्रयोग

	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022	पंक्ति
वास्तविक जीडीपी (लाख करोड़ रु.)	189.0	200.7	198.0	236.6	
वास्तविक जीडीपी में वृद्धि (:)		6.2	-1.4	19.5	
जीडीपी में कल्पित वृद्धि(:)		10.0	10.0	10.0	
अनुमानित जीडीपी (लाख करोड़ रु.)		207.9	228.7	251.6	
परिदृश्य 1					
वास्तविक राजकोषीय घाटा/अनुमानित जीडीपी (:)		4.5	8.0	6.3	(A)
केंद्र सरकार का वास्तविक ऋण/अनुमानित जीडीपी (:)		50.9	54.8	55.5	(B)
परिदृश्य 2					
कल्पित राजस्व वृद्धि		0.8	1.6	1.6	
अनुमानित राजस्व संग्रह (लाख करोड़ रु.)		18.1	21.0	24.3	
अनुमानित राजकोषीय घाटा (लाख करोड़ रु.)		8.8	14.1	13.7	
अनुमानित राजकोषीय घाटा/अनुमानित जीडीपी		4.2	6.2	5.4	(C)
परिदृश्य 3					
कल्पित राजस्व वृद्धि		0.8	0.9	1.6	
अनुमानित राजस्व संग्रह (लाख करोड़ रु.)		18.1	19.6	22.7	
अनुमानित राजकोषीय घाटा (लाख करोड़ रु.)		8.8	15.5	15.2	
अनुमानित राजकोषीय घाटा/अनुमानित जीडीपी		4.2	6.8	6.1	(D)

ज्ञापन मदें					
वास्तविक व्यय (लाख करोड़ रु.)	23.2	26.9	35.1	37.9	
अनुमानित राजस्व संग्रह (लाख करोड़ रु.)	16.7	17.5	16.9	22.1	
अनुमानित राजकोषीय घाटा (लाख करोड़ रु.)	6.5	9.3	18.2	15.9	
वास्तविक राजकोषीय घाटा/वास्तविक जीडीपी (:)		4.7	9.2	6.7	(E)
केंद्र सरकार का वास्तविक कर्ज/वास्तविक जीडीपी (:)		52.7	63.3	59.0	(F)

स्रोत: अवबार की रिपोर्ट, आरबीआई

तथापि, सकल घरेलू उत्पाद की उच्च विकास दर भी उच्च राजस्व के माध्यम से राजकोषीय घाटे को प्रभावित करती है। विश्लेषण के परिदृश्य 2 में राजस्व चैनल के माध्यम से राजकोषीय घाटे व जीडीपी अनुपात पर उच्च जीडीपी वृद्धि के प्रभाव को शामिल किया गया है। विश्लेषण में व्यय के स्तर को वास्तविक के रूप में बनाए रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2022 में वास्तविक राजस्व वृद्धि और वित्तीय वर्ष 2021 की बजटीय राजस्व वृद्धि से राजस्व पर उच्च जीडीपी वृद्धि के प्रभाव की मात्रा निर्धारित होने का अनुमान लगाया गया था। बजटीय राजस्व वृद्धि वित्तीय वर्ष 2011 के लिए मानी गई थी क्योंकि सामान्य जीडीपी संकुचन के वर्ष में वास्तविक वृद्धि अनुपात का निर्वचन नहीं किया जा सकता था। संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित राजस्व और वास्तविक व्यय का उपयोग करके राजकोषीय घाटे की गणना की गई थी। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020 में 4.2, वित्तीय वर्ष 2021 में 6.2 और वित्तीय वर्ष 2022 में 5.4 था, जो वास्तव में हुए घाटे से बहुत कम है। (तालिका 5क की पंक्तियाँ (ग) और (ङ) देखें)

इसके अतिरिक्त, हम परिदृश्य 3 में देखते हैं कि बजटीय वृद्धि के बजाय वित्तीय वर्ष 2021 में पिछले 5-वर्ष की औसत राजस्व वृद्धि को देखते हुए और वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2022 में वास्तविक राजस्व वृद्धि को बनाए रखते हुए, जीडीपी व राजकोषीय घाटे का अनुपात अभी भी वास्तव में हुए घाटे से कम है (देखें तालिका 5क की पंक्तियाँ (घ) और (च)।

इस प्रतिद्वन्द्वीय अभ्यास के संदेश सरल हैं: मध्यम वृद्धि भी, यदि बनी रहती है, तो मध्यम अवधि में राजकोषीय समेकन में सहायता करेगी और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था स्थायी बनी रहेगी। दूसरा, भारत का सार्वजनिक ऋण और घाटे का अनुपात हाल के वर्षों में न केवल वैश्विक महामारी के कारण अधिक खर्च और कम कर राजस्व के कारण बल्कि वैश्विक महामारी के बाद वित्तीय प्रणाली पर दबाव के परिणामस्वरूप घटते रुझान के कारण भी तेजी से बढ़ा है। दोनों के समाप्त होने के साथ, सामान्य वृद्धि अपने प्रवाह पथ पर वापस लौटेगी और इसलिए, राजकोषीय मानदंडों में भी सुधार होगा। निरंतर सतर्कता और राजकोषीय विवेक के मार्ग पर चलते रहने की आवश्यकता है, परन्तु एक अनुचित अलार्म अनावश्यक है।

निष्कर्ष

3.41 भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राजकोषीय स्थिरता की दिशा में समग्र नीति अपनाई है। संकट का उपयोग सुधार लाने के अवसर के रूप में करते हुए, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक नीतिगत उपाय किए। इनमें बजट में पारदर्शिता लाने और बजट में विवेकपूर्ण धारणाओं का उपयोग करने से लेकर प्रौद्योगिकी को लागू करने, जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने, कर दरों को कम करने, कर अनुपालन को सरल बनाने और पूर्वव्यापी कराधान में अनिश्चितता को समाप्त करने के माध्यम से कर पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना शामिल हैं। इन सभी उपायों से अर्थव्यवस्था का अधिक औपचारिकीकरण हुआ है, अनुपालन में वृद्धि हुई है और जनता द्वारा आय की बेहतर जानकारी दी गई है और राजकोषीय प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को विश्वसनीयता प्राप्त हुई है।

42. भारत के ऋण और घाटे के अनुपात में वृद्धि न केवल वैश्विक महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियों के बंद होने पर आवश्यक उच्च खर्च के कारण हुई है, बल्कि डिनोमिनेटर (सामान्य जीडीपी) में गिरावट या धीमी वृद्धि के कारण भी हुई है। वित्तीय वर्ष 2020 में, वित्तीय प्रणाली में चल रहे दबाव के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि धीमी हो गई। जबकि बैंकिंग क्षेत्र मरम्मत के दौर से गुजर रहा था और पुनर्जीकरण कर रहा था, गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के संकट ने बैंकिंग प्रणाली के लिए अनिश्चितताओं को नवीनीकृत कर दिया। इसने ऋण वृद्धि को मौन रखा, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी हो गई। महामारी ने वित्त वर्ष 2011 में स्थिति को और खराब कर दिया, जिसके कारण नाममात्र जीडीपी अनुबंधित हो गया, जो भारत में एक दुर्लभ घटना थी। विस्तृत चर्चा अध्याय 2 में देखी जा सकती है।

3.43. निरंतर वैश्विक अनिश्चितताओं और जोखिमों के बीच भारत की आर्थिक सुधार की प्रगति के साथ, राजकोषीय ग्लाइड पथ राजकोषीय नीति के लिए पथ को प्रकाशित करता है। यह अनिश्चित परिस्थितियों में नीतिगत कार्रवाई के लिए अधिक महत्वपूर्ण राजकोषीय अवसर सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, वास्तव में, राजकोषीय अनुशासन कम ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन में बदल जाता है। जैसे-जैसे सरकारें अपनी वित्तीय स्थितियों को स्थायी बनाती हैं और उस रास्ते पर चलती हैं, उनकी ब्याज दरों में निहित जोखिम प्रीमियम कम हो जाता है, इस प्रकार समाज के सभी वर्गों के लिए उनके शैक्षिक ऋण, आवास ऋण, कार ऋण और व्यवसाय ऋण पर पूंजी की लागत कम हो जाती है और उनके हाथों में अधिक धन पहुंचता है। ईएमडीई के लिए, घटते जोखिम-प्रीमियम के माध्यम से राजकोषीय घाटे का प्रोत्साहन प्रभाव, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक होने की संभावना है। यह वास्तविकता है, क्योंकि वित्तीय बाजार उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समान व्यवहार नहीं करते हैं। राजकोषीय अपव्यय का अत्यधिक प्रभाव ईएमडीई पर पड़ता है। इसलिए, इसका कारण यह है कि उनको राजकोषीय विवेक का अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि पहले कहा गया है, यह बढ़ती ब्याज दरों के युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है।

3.44 केन्द्र सरकार को सुधारों और उच्च पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देना जारी रखना चाहिए ताकि एक मजबूत सामान्य सरकार सुनिश्चित किया जा सके। कैपेक्स-आधारित विकास रणनीति से मध्यम अवधि में स्थायी ऋण स्तर सुनिश्चित होगा।

ANNEXE

अनुबंध 1: केंद्र सरकार की वित्तीय व्यवस्था में दीर्घावधि प्रवृत्ति से संबंधित आंकड़े

तालिका 1: केंद्र सरकार के राजकोषीय मानदंड

	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वर्ष 2022 प्रतिवर्ष	वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान
	लाख करोड़ रु. में					
राजस्व प्राप्तियां	14.35	15.53	16.84	16.34	21.68	22.04
सकल कर राजस्व	19.19	20.80	20.10	20.27	27.08	27.58
कुल कर राजस्व	12.42	13.17	13.57	14.26	18.20	19.35
गैर-कर राजस्व	1.93	2.36	3.27	2.08	3.48	2.70
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां*	1.16	1.13	0.69	0.58	0.39	0.79
गैर-ऋण प्राप्तियां	15.51	16.66	17.53	16.92	22.08	22.84
निवल व्यय	21.42	23.15	26.86	35.10	37.94	39.45
राजस्व व्यय	18.79	20.07	23.51	30.84	32.01	31.95
पूंजीगत व्यय	2.63	3.08	3.36	4.26	5.93	7.50
राजकोषीय घाटा	5.91	6.49	9.34	18.18	15.87	16.61
राजस्व घाटा	4.44	4.54	6.67	14.50	10.33	9.90
आरंभिक घाटा	0.62	0.67	3.22	11.38	7.81	7.21
ज्ञापन मद						
बाजार मूल्य पर जीडीपी	170.90	188.87	200.75	198.01	236.65	258.00

तालिका 2: केंद्र सरकार के राजकोषीय मानदंड (जीडीपी का प्रतिशत)

	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वर्ष 2022 प्रतिवर्ष	वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियां	8.4	8.2	8.4	8.3	9.2	8.5
सकल कर राजस्व	11.2	11.0	10.0	10.2	11.4	10.7
निवल कर राजस्व	7.3	7.0	6.8	7.2	7.7	7.5
गैर-कर राजस्व	1.1	1.2	1.6	1.0	1.5	1.0
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां*	0.7	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3
गैर-ऋण प्राप्तियां	9.1	8.8	8.7	8.5	9.3	8.9
कुल व्यय	12.5	12.3	13.4	17.7	16.0	15.3
राजस्व व्यय	11.0	10.6	11.7	15.6	13.5	12.4
पूंजीगत व्यय	1.5	1.6	1.7	2.2	2.5	2.9
राजकोषीय घाटा	3.5	3.4	4.7	9.2	6.7	6.4

राजस्व घाटा	2.6	2.4	3.3	7.3	4.4	3.8
आरंभिक घाटा	0.4	0.4	1.6	5.7	3.3	2.8

तालिका 3: केन्द्र सरकार के राजकोषिय संकेतकों की विकास दर (प्रतिशत में)

	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वर्ष 2022 प्रतिवर्ष	वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान (1)	वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान (2)
राजस्व प्राप्तियां	4.4	8.2	8.4	-3.0	32.7	6.0	1.7
सकल कर राजस्व	11.8	8.4	-3.4	0.8	33.6	9.6	1.8
कुल कर राजस्व	12.8	6.0	3.0	5.1	27.6	9.6	6.3
गैर-कर राजस्व	-29.4	22.3	38.8	-36.5	67.6	-14.1	-22.5
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां*	77.0	-2.5	-39.2	-16.0	-32.0	-20.7	102.2
गैर-ऋण प्राप्तियां	7.7	7.4	5.2	-3.5	30.5	4.8	3.4
निवल व्यय	8.4	8.1	16.0	30.7	8.1	4.6	4.0
राजस्व व्यय	11.1	6.8	17.1	31.2	3.8	0.9	-0.2
पूंजीगत व्यय	-7.5	16.9	9.1	27.0	39.1	24.5	26.6
राजकोषीय घाटा	10.4	9.9	43.8	94.8	-12.7	4.4	4.7
राजस्व घाटा	40.2	2.5	46.7	117.5	-28.7	-9.0	-4.1
आरंभिक घाटा	13.1	7.5	381.6	254.0	-31.4	-7.3	-7.8

Source: Budget documents, O/o CGA

नोट: (1) वित्तीय वर्ष 2022 संशोधित अनुमान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान में वृद्धि हुई (2) वित्तीय वर्ष 2022 प्रतिवर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान में वृद्धि हुई

अनुबंध 2: वित्त वर्ष 23 के दौरान सीबीडीटी द्वारा किए गए उपाय

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों ने विश्वास-आधारित कर प्रणाली के विकास को सुनिश्चित किया है। एक कुशल और प्रभावी कर प्रशासन की दिशा में प्रगति की गई है, जो ईमानदार करदाताओं का सम्मान करता है और सरकार की ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस की नीति को आगे बढ़ाते हुए बेहतर करदाता सुविधा प्रदान करता है।

करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी

- 1961 के आयकर अधिनियम में अपडेटेड रिटर्न की एक नई योजना शुरू की गई है, जो करदाता को अतिरिक्त कर का भुगतान करके प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल के भीतर स्वेच्छा से अपनी रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है और मुकदमेबाजी को कम करती है।
- पूर्व-भरे आयकर रिटर्न (आईटीआर) में सूचना का दायरा और अधिक विस्तारित किया गया है, जिसमें गृह संपत्ति आय, प्रतिभूतियों से पूंजीगत लाभ, बैंक ब्याज, और कर अनुपालन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए लाभांश जैसी जानकारी शामिल है।
- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत व्यवसाय पुनर्गठन को प्रभावित करने के लिए एक नया प्रावधान किया

गया है, जिसके लिए उत्तराधिकारी इकाई को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्गठन के आदेश के छह महीने के भीतर एक संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

- मूल्यांकन अधिकारी और निर्धारिती के बीच मानव इंटरफेस को समाप्त करके, कार्यात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करके और कुशल कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके आयकर अधिनियम के तहत मूल्यांकन, अपील और जुर्माना लगाने की प्रक्रियाओं को फेसलेस बना दिया गया है।

मुकदमेबाजी में कमी

- मुकदमेबाजी को कम करने और छोटे करदाताओं के लिए विवाद समाधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक विवाद समाधान समिति का गठन किया गया है। 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले करदाता समिति से संपर्क करने के पात्र होंगे। दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समिति की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित की जाएगी।
- मुकदमेबाजी प्रबंधन की नीति को आगे बढ़ाते हुए और बार-बार होने वाली अपीलों से बचने के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक नया प्रावधान किया गया है, जिसमें यदि एक निर्धारिती के मामले में कानून का प्रश्न लंबित कानून के प्रश्न के समान है अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उसके मामले में या किसी अन्य मामले में अपील, अपीलीय न्यायाधिकरण या निर्धारिती के मामले में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में आगे की अपील दाखिल करना तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि प्रासंगिक न्यायालय द्वारा कुछ शर्तों के अधीन कानून के इस तरह के प्रश्न का फैसला नहीं किया जाता है।

कर अपवंचन को रोकने के लिए किए गए उपाय और कर आधार के विस्तार को सुगम बनाना

- वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और ई-सत्यापन योजना के माध्यम से जानकारी साझा करने का एक औपचारिक तंत्र हाल ही में सक्षम किया गया है। ये उपाय कर आधार को व्यापार और गहरा करने के उद्देश्य को यह सुनिश्चित करके आगे बढ़ाते हैं कि अधिकारियों के पास एक निर्धारिती की सभी प्रासंगिक वित्तीय जानकारी होती है, इस प्रकार एक करदाता को उसकी आय की सही फाइलिंग के लिए ऐसी जानकारी तक पहुंच की अनुमति मिलती है।
- वित्त अधिनियम 2022 ने आभासी डिजिटल आस्ति (वीडीए) के कराधान के लिए विशिष्ट प्रावधान भी पेश किए हैं, जहां वीडिए के अन्तरण पर 30% की दर से कर लगाया जाना है, व्यय (अधिग्रहण की लागत के अलावा) के संबंध में कोई कटौती की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा, आभासी डिजिटल आस्तियों के अन्तरण से होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय से समायोजित नहीं किया जा सकता है और इसे बाद के वर्षों में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, वीडिए का अन्तरण लेनदेन मूल्य (चाहे नकद/वस्तु दोनों में) के 1 प्रतिशत टीडीएस के अधीन है। वीडिए के उपहार पर प्राप्तकर्ता के हाथों कर लगाया जाएगा।
- व्यापार या पेशे के संबंध में लाभ या अनुलाभ पर स्रोत पर कर की कटौती भी कर आधार को व्यापक और गहरा करने के लिए वित्त अधिनियम 2022 में शुरू की गई है। किसी निवासी को कोई लाभ या अनुलाभ प्रदान करने वाला व्यक्ति इस तरह के लाभ या अनुलाभ के मूल्य या कुल मूल्य के 10% का टीडीएस (चाहे नकद/वस्तु दोनों में) काटेगा।
- वित्त अधिनियम 2022 में प्रावधान किया गया है कि कर अपवंचकों के बीच निश्चितता लाने और प्रतिरोध बढ़ाने के लिए खोज और सर्वेक्षण कार्यों के दौरान पता लगाई गई अघोषित आय के विरुद्ध किसी भी नुकसान के समायोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- वित्त अधिनियम 2022 के द्वारा बोनस स्ट्रिपिंग पर लागू प्रावधानों को प्रतिभूतियों पर भी लागू किया गया है। यह भी व्यवस्था की गई है कि बोनस स्ट्रिपिंग और लाभांश (डिविडेंड) स्ट्रिपिंग संबंधी प्रावधान इन्फ्रास्ट्रक्चर

इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इकाइयों या वैकल्पिक निवेश फंडों की इकाइयों पर भी लागू होंगे।

कर प्रोत्साहन

- वित्त अधिनियम 2022 ने वित्त वर्ष 2019-2020 और उसके बाद के वर्षों के दौरान किसी नियोक्ता या किसी व्यक्ति से कोविड-19 के इलाज के लिए चिकित्सा उपचार के लिए प्राप्त राशि पर आयकर राहत प्रदान की है। वित्त वर्ष 2019-2020 और उसके बाद के वर्षों के दौरान कोविड-19 के कारण मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा नियोक्ता/अन्य व्यक्ति से प्राप्त अनुग्रह राशि के भुगतान पर भी आयकर राहत प्रदान की गई है।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए भी कर राहत का विस्तार किया गया है। बीमा योजना से वार्षिकी और एकमुश्त राशि का भुगतान माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान अलग-अलग विकलांगों को दिया जाता है, अर्थात् माता-पिता /अभिभावक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होने पर और जहां योजना में ऐसा योगदान दिया गया हो बंद कर दिया है।
- राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता लाने के लिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस टियर-1 खाते में नियोक्ता अंशदान पर कर कटौती की सीमा मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। इससे सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
- स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए, 1961 का आयकर अधिनियम दस वर्षों में से तीन लगातार वर्षों के लिए योग्य स्टार्ट-अप के लाभ और लाभ के 100% की कटौती की अनुमति देता है। हालांकि, कोविड-19 के कारण ऐसे पात्र व्यवसायों को स्थापित करने में देरी हुई है। इन स्टार्ट-अप को समर्थन देने के लिए, वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से पात्र स्टार्ट-अप के निगमन की अवधि को 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है।
- सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समान अवसर प्रदान करने के लिए, सहकारी समितियों द्वारा भुगतान की जाने वाली वैकल्पिक न्यूनतम कर दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। इसके अलावा, '1 करोड़ से अधिक और '10 करोड़ तक की कुल आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है।
- विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापित करने के लिए रियायती कर व्यवस्था के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएबी के तहत 15% रियायती कर दर का लाभ उठाने के लिए एक नव स्थापित विनिर्माण इकाई के लिए किसी वस्तु या वस्तु के निर्माण या उत्पादन की शुरुआत की तारीख को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है।
- पिछले कुछ वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थित इकाइयों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कई कर रियायतें प्रदान की गई हैं, ताकि इसे वित्तीय सेवा क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बनाया जा सके। आईएफएससी से संचालन को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2022 के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निम्नलिखित को कर से छूट दी गई है:
 - i. अपतटीय डेरिवेटिव लिखतों से अनिवासी की आय
 - ii. अपतटीय बैंकिंग इकाई द्वारा जारी किए गए ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव से आय
 - iii. एक जहाज के पट्टे के कारण रॉयल्टी और ब्याज से आय
 - iv. आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय

अनुबंध 3: वित्त वर्ष 23 के दौरान सीबीआईसी द्वारा किए गए उपाय

सीमा शुल्क के संबंध में सुधार के उपाय:

- मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक सचेत नीति द्वारा सीमा शुल्क दर संरचना को निर्देशित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल पर कम शुल्क लगाने और भारत में निर्मित होने वाले सामानों को उचित टैरिफ सहायता प्रदान करने की परिकल्पना करती है। सीमा शुल्क संरचना को पेट्रोलियम अन्वेषण, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अंशांकित (कैलिब्रेट) किया गया है। इस नीति के अनुसार, बीसीडी की एमएफएन दरों में हाल के वर्षों में ऐसी वस्तुओं पर वृद्धि की गई है जो भारत में निर्मित हो रही हैं या जो घरेलू उद्योग निर्माण करना चाहता है। तदनुसार, पिछले 6 वर्षों के दौरान, लगभग 4000 टैरिफ लाइनों (कुल टैरिफ लाइनों का लगभग 1/3) ने बीसीडी के ऊपर अंशांकन देखा है। इस तरह की वस्तुओं में धातु, धातु उत्पाद, आँटों के फर्जे, जूते, कपड़े, परिधान, निर्दिष्ट रसायन, खिलौने, कुछ मशीनरी, चिकित्सा उपकरण, कई एमएसएमई आइटम जैसे घंटियाँ, घडियाल, चीनी मिट्टी के सामान, टेबल वेयर, बर्तन, हार्डवेयर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एसी, पंखे, हीटर, हेयर ड्रायर, शेवर, टोस्टर, ओवन आदि सहित घरेलू उपकरण आदि शामिल हैं। साथ ही, इनपुट और कच्चे माल की ड्यूटीज को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- महत्वपूर्ण उत्पादों जैसे मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सौर पैनल आदि के संबंध में चरणबद्ध विनिर्माण योजना (पीएमपी) तरीके जो घरेलू मूल्यवर्धन को धीरे-धीरे गहरा करने को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन के संबंध में, प्रारंभ में फर्जों (पार्ट्स) को शून्य बीसीडी के तहत रखा गया था जबकि मोबाइल पर शुल्क लगाया गया था। धीरे-धीरे, फर्जों (पार्ट्स) पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क बढ़ाया गया क्योंकि उनका उत्पादन भारत में शुरू हुआ।
- भारत विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते के तहत सभी प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह पालन करता है। फरवरी 2022 की निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन पूरा किया गया है और विश्व व्यापार संगठन द्वारा विधिवत अधिसूचित और स्वीकार किया गया है। प्राप्त किए गए उत्साहजनक परिणामों को यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन में स्टैंडिंग में महत्वपूर्ण सुधार से देखा जा सकता है, जिसमें भारत ने ट्रेड फैसिलिटेशन स्कोर में 2019 में 78.49: से 2021 में 90.32: तक निरंतर सुधार देखा है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया (63.12:) क्षेत्र की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है।
- एक्जिम कार्गो की भौतिक जांच प्रक्रिया में एकरूपता बढ़ाने और प्रक्रिया में शामिल समय और लागत को कम करने के उद्देश्य से, सीबीआईसी ने सर्कुलर संख्या 16/2022-सीमा शुल्क दिनांक 29 अगस्त, 2022 के माध्यम से देश भर के सभी सीमा शुल्क स्थानों पर जोखिम प्रबंधन आधारित एकसमान कार्गो जांच आदेश पेश किया है।
- करदाताओं की सुविधा के लिए उपायों को लागू करने की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, सीबीआईसी ने आयातक, निर्यातक या सीमा शुल्क, शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति को सक्षम करने के लिए सीमा शुल्क (इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर), विनियम, 2022 दिनांक 30.03.2022 को अधिसूचित किया है। लेन-देन वार भुगतान करने के बजाय सरकार के पास अग्रिम जमा करें जैसा कि पहले किया जा रहा था। इस तरह की जमा राशि का ईसीएल से आवश्यक राशि डेबिट करके सीमा शुल्क से संबंधित शुल्कों और अन्य राशियों के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी ने मंजूरी में देरी से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक अज्ञात वृद्धि तंत्र शुरू किया है। उपरोक्त तंत्र में, सीबीआईसी के आईसीईजीएटूई पंजीकृत उपयोगकर्ता फेसलेस मूल्यांकन के तहत विलंबित मंजूरी के लिए अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं और इसे संबंधित मूल्यांकनकर्ता के साथ-साथ संबंधित एफएजी पोर्ट (फेसलेस असेसमेंट ग्रुप) के उच्च अधिकारियों को गुमनाम रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। अनामित वृद्धि सुविधा भी उपयोगकर्ताओं को अंतिम समाधान तक उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है।

- आंतरिक प्रक्रियाओं का अनुकूलन करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य से, सीबीआईसी ने दिनांक 14.10.2021 को इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम (ईसीटीएस) के कार्यान्वयन के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, जो आईसीडी में बंदरगाह से गोदाम तक माल की आवाजाही पर नजर रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। तुगलकाबाद कंटेनरों के सुरक्षित प्रलेखन और जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है।
- भारतीय सीमा शुल्क ने 9 सितंबर, 2022 की अधिसूचना 74/2022 के माध्यम से मौजूदा सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 को अधिक्रमण करते हुए आईजीसीआरएस नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। ये नियम 10 सितंबर 2022 से प्रभावी हो गए हैं। “ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस” के बड़े लक्ष्यों के अनुसार व्यापार जगत से लंबे समय से चली आ रही मांगों जैसे जॉब वर्क को शामिल करने, पूंजी की निकासी को समायोजित करके शुल्क की रियायती दर पर माल के आयात के लिए प्रक्रियाओं को सरल और स्वचालित बनाने के लिए इन नियमों के जरिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मूल्यहासित मूल्य पर माल, पूरी प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने और अधिकारियों के साथ भौतिक इंटरफेस की किसी भी आवश्यकता को समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण बदलाव इन नियमों के जरिए किए गए हैं।

सीमा शुल्क कानून और प्रक्रिया में परिवर्तन:

- व्यापार सुविधा उपाय के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर विनियम, 2021 के तहत जारी ई-स्क्रिप की वैधता को उनके निर्माण की तारीख से एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा, ई-स्क्रिप्स (आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल योजनाओं के तहत जारी) के अंतरिती धारक से वसूली प्रावधानों और इसके क्रेडिट खाते के निलंबन को भी हटा दिया गया है।
- देश भर में डाकघरों के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को ई-कॉमर्स या अन्य नियमित चैनलों का उपयोग करके वैश्विक बाजारों में निर्यात करने में सक्षम बनाने के लिए, डाक विभाग (डॉप) के सहयोग से सीबीआईसी डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया है। नई प्रणाली के तहत, एक निर्यातक को निर्यात के डाक बिल (पीबीई) को दर्ज करने और निर्यात पार्सल पेश करने के लिए एक विदेशी डाकघर (एफपीओ) जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, वह अपने घर/कार्यालय से ऑनलाइन पीबीई फाइल करने में सक्षम है और निर्यात पार्सल पास के बुकिंग डाकघर में डाक अधिकारियों को सौंप देता है। डाक अधिकारी बुकिंग डाकघर से एफपीओ तक निर्यात पार्सल के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करेंगे, जहां सीमा शुल्क निकासी होगी।
- परिपत्र संख्या 8/2022-सीमा शुल्क दिनांक 17.5.2022 को बंद कंटेनरों में बांग्लादेश से भारत को निर्यात को सक्षम करने के लिए जारी किया गया है, जिसमें आंतरिक आईसीडी में निकासी शामिल है। प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली में एक ट्रांसशिपमेंट मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। यह सीमा व्यापार बिंदुओं को कम करेगा और बांग्लादेश के निर्यात को सुविधाजनक बनाएगा।
- परिपत्र सं. 17/2022-सीमा शुल्क दिनांक 9.9.2022 के माध्यम से, सीबीआईसी ने रेल/सड़क मार्ग और नदी मार्ग के संयोजन का उपयोग करके किसी भी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) से बांग्लादेश में कंटेनरीकृत कार्गो के निर्यात को संभव किया है। उदाहरण के लिए, आईसीडी में सीमा शुल्क निकासी के बाद कंटेनरीकृत कार्गो को रेल या सड़क मार्ग से कोलकाता/हल्दिया बंदरगाह तक पहुँचाया जाएगा, जहाँ से इसे नदी मार्ग का उपयोग करके बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए एक बार्ज पर लोड किया जाएगा। सीमा

शुल्क निकासी आईसीडी में होगी और कोलकाता/हल्दिया में केवल निवारक जांच की जाएगी। इस सुविधा से भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर निर्यात कार्गो की भीड़ को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

- व्यापार और पारगमन को बढ़ाने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता का लाभ उठाने की दृष्टि से, सीबीआईसी ने नदी और रेल मार्गों के संयोजन का उपयोग करके भारत के माध्यम से बांग्लादेश के कंटेनरीकृत निर्यात माल की आवाजाही की अनुमति दी है। इस सुविधा की अनुमति परिपत्र सं. 19/2022-सीमा शुल्क दिनांक 14.9.2022 के माध्यम से दी गई है, जिसमें नदी मार्ग का उपयोग करते हुए कोलकाता या हल्दिया के समुद्री बंदरगाह तक भारत में बांग्लादेश से एक बार्ज/जहाज पर कंटेनरीकृत कार्गो का प्रवेश शामिल है। कोलकाता या हल्दिया के समुद्री बंदरगाह से, समुद्री मार्ग से तीसरे देशों को अंतिम निर्यात के लिए माल रेल द्वारा न्हावा शेवा या मुंद्रा के समुद्री बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा। परिपत्र में विस्तृत प्रक्रिया और दस्तावेज दिए गए हैं और ईसीटीएस (इलेक्ट्रॉनिक्स कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम) का उपयोग करके ट्रैक और ट्रेस सुविधा प्रदान की गई है। इस व्यवस्था से वैकल्पिक और अधिक कुशल व्यापार मार्ग प्रदान करके व्यापारियों के लिए समय और लागत बचाने की उम्मीद है।
- सर्कुलर संख्या 09/2022-सीमा शुल्क दिनांक 30.6.2022 के माध्यम से, सीबीआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों (आईसीटी) के माध्यम से आभूषणों के ई-कॉमर्स निर्यात के लिए एक सरल नियामक ढांचा तैयार किया है। ई-कॉमर्स व्यवसाय की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए, इसमें आभूषणों की वापसी के लिए पुनः आयात प्रक्रिया शामिल है। इस उद्देश्य के लिए, कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणों और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 को अधिसूचना संख्या 57/2022-सीमा शुल्क (एन.टी) दिनांक 30.6.2022 द्वारा संशोधित किया गया है। सरलीकृत ढांचा कीमती धातुओं से बने आभूषणों के ई-कॉमर्स निर्यात पर लागू होता है (चाहे कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़ी या जड़ित हो या नहीं)। इस सुधार का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मेक-इन-इंडिया ब्रांड का समर्थन करना और तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक ई-मार्केट स्थान का लाभ उठाते हुए भारतीय आभूषण निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

उत्पाद शुल्क में परिवर्तन:

- देश में पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य कच्चे तेल की कीमतों से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है। भारतीय बास्केट ऊपर की ओर बढ़ रही है और मई, 2022 में 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। डॉलर विनिमय दर भी ऊपर की ओर थी और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को प्रभावित करते हुए घ77 प्रति यूएसडी के आसपास मंडरा रही थी। पेट्रोल और डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य मार्च 2022 में क्रमशः ₹95.41 प्रति लीटर और ₹86.67 प्रति लीटर से बढ़कर 21 मई, 2022 को क्रमशः ₹105.41 प्रति लीटर और ₹96.67 प्रति लीटर हो गया है। इससे पेट्रोल व डीजल पर व्यापार शुल्क में कमी करना आवश्यक हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया और पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दरों को पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर करने का निर्णय लिया गया। रोड एंड ड्रॉस्ट्रक्चर सेस (आरआईसी) को कम करके प्रस्तावित कटौती को प्रभावी किया गया है।

जीएसटी (दरों) में परिवर्तन:

- 2022 में, वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

- जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग स्याही जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया, बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी के प्रहस्तन के लिए डिजाइन किए गए जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, पवन चक्की, ड्राइंग और मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट, सोलर इन मदों में उल्टे शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए वॉटर हीटर और सिस्टम आदि। इसी तरह, कुछ सेवाओं पर जीएसटी दरें जैसे कि फोरमैन द्वारा चिट फंड को आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं, खाल, खाल और चमड़े के प्रसंस्करण के संबंध में जॉब वर्क, चमड़े के सामान और जूते आदि के निर्माण के संबंध में जॉब वर्क आदि को भी उल्टी शुल्क संरचना को सही करने के लिए कैलिब्रेट किया गया था।
- अब तक, ब्रांडेड नहीं होने पर निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों, अनाज आदि पर जीएसटी से छूट दी गई थी, या ब्रांड पर अधिकार छोड़ दिया गया था। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में प्री-पैकड, प्री-लेबल दही, लस्सी और छाछ सहित लीगल मेट्रोलाजी एक्ट के संदर्भ में प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल वाले रिटेल पैक को इससे बाहर करने के लिए छूट के दायरे को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।
- जीएसटी छूट को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से, 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में चेक, लूजफॉर्फ में या फस्तक के रूप में, मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक और ऐसे ही सभी प्रकार के समान चार्ट या एटलस, वॉल मैप, स्थलाकृतिक योजनाओं तथा ग्लोब जैसी वस्तुओं पर जीएसटी छूट वापस लेने की सिफारिश की गई है। इसी तरह, पेट्रोलियम/कोल बेड मीथेन, सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों को आपूर्ति किए गए वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों, ई-कचरे जैसी वस्तुओं पर जीएसटी की रियायती दर के रूप में छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है।

जीएसटी कानून और प्रक्रिया में बदलाव:

- 2022-23 में जीएसटी के तहत व्यापार सुविधा और व्यापार करने में आसानी के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:

व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किए गए उपाय:

- अधिसूचना सं. 14/2022-केंद्रीय कर दिनांक 5.7.2022 के द्वारा, यूपीआई और आईएमपीएस को करदाताओं की सुविधा के लिए और सीजीएसटी नियमावली के नियम 87(3) में संशोधन करके डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए एक अतिरिक्त मोड के रूप में प्रदान किया गया है। इससे उन्हें जीएसटी भुगतान करने में लचीलापन और मामला मिलेगा।
- सीजीएसटी/आईजीएसटी कैश लेजर बैलेंस को 'अलग-अलग व्यक्तियों' (समान पैन वाली संस्थाएं लेकिन अलग-अलग राज्यों में पंजीकृत) के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है। करदाताओं द्वारा जीएसटी के तहत किए गए रिफंड आवेदनों को वापस लेने की सुविधा प्रदान की गई है।
- करदाताओं द्वारा जीएसटी के तहत किए गए रिफंड आवेदनों को वापस लेने की सुविधा प्रदान की गई है।
- जीएसटी में, बिजली के निर्यात पर संचित आईटीसी की वापसी के लिए एक तंत्र निर्धारित किया गया है।
- वस्तुओं के निर्यात के मामले में आईजीएसटी रिफंड की मंजूरी की प्रक्रिया, जहां निर्यातकों को जोखिम भरा के रूप में पहचाना गया है, ऐसे दावों के सत्यापन और प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए सुव्यवस्थित किया गया है।

ईज आफ़ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए किए गए उपाय:

- 01.10.2022 से ई-चालान अनिवार्य रूप से जारी करने की सीमा को घटाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है।
- छोटे करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स (ईसीओ) के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, और राज्य के भीतर ऑफ़लाइन और ऑनलाइन सामानों की आपूर्ति में समानता प्रदान करने के लिए, जीएसटी के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता से छूट के लिए सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया है। ईसीओ के कंपोजीशन के माध्यम से राज्य के अंदर माल की आपूर्ति के लिए करदाताओं को भी कुछ शर्तों के अधीन ईसीओ के माध्यम से राज्य के अंदर आपूर्ति करने की अनुमति होगी। यह छोटे करदाताओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण के बिना अपना सामान बेचने के लिए विशाल ई-कॉमर्स बाजार खोलेगा जिससे छोटे व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। इन परिवर्तनों को नियत समय में अधिसूचित किया जाएगा, क्योंकि जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुसार जीएसटी प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, और पोर्टल पर और ईसीओ द्वारा भी तकनीकी परिवर्तन की आवश्यकता होगी।